

GOVERNMENT BILLS**The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2016**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत): माननीय उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ:

कि संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।

माननीय उपसभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमें राज्यों से जो प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, अगर उन पर आरजीआई और एससी कमिशन के प्रतिवेदन आ जाते हैं तो हम उन जातियों को संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 में सम्मिलित करने का काम करते हैं। हमने यह काम वर्ष 2014-15 में भी किया था, 2015-16 में भी किया था और अब इस वर्ष भी मैं यह विधेयक लाया हूँ।

महोदय, इस विधेयक में सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। राज्य सरकार से जो प्रस्ताव आना चाहिए, वह आ गया है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी सकारात्मक राय दे दी है, उसके बाद हमने इसे अनुसूचित जाति आयोग की राय के लिए भेजा, उन्होंने भी अपनी सकारात्मक राय दी। फिर उसके बाद बिल बन करके लोक सभा में प्रस्तुत हुआ, लोक सभा ने इसको सर्वानुमति से पारित किया और आज मैं राज्य सभा में इसे विचारार्थ रख रहा हूँ।

इसमें पांच राज्यों में अलग-अलग प्रकार के संशोधन करने का प्रस्ताव है। छत्तीसगढ़ में कुछ जातियाँ हैं, जिनका पर्यायवाची शब्द जोड़ना है, जैसे घासी, घसिया। जो प्रस्ताव आया है, उसमें घासी, घसिया के पर्यायवाची के रूप में सारथी, सूत सारथी, सहीस, सईस और थनवार को भी शामिल करना है। वह हो जाएगा घासी, घसिया, सईस, सहीस, सारथी, सूत-सारथी और थनवार। हरियाणा में कुछ नई जातियाँ जोड़ी जा रही हैं अहेरिया, अहेरी, हारी, हेरी, थोरी और तुरी। राय सिख के रूप में एक नयी प्रविष्टि का इसमें प्रावधान है। वह भी जोड़ा जा रहा है। केरल में कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। मलयन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 का जो वहां कानून पास हुआ, उसके आधार पर कासरागोड, कोझीकोड तथा वयनाड जिलों में शामिल क्षेत्रों के रूप में अभी आशोधन है। हम जो संशोधन कर रहे हैं, वह यह है मलयन, कन्नूर, कासरागोड, कोझीकोड और वयनाड जिलों में अब यह लागू हो जाएगा। इसी के साथ मण्णन, पथियन, पेरुमण्णन, वण्णन, वेलन में पर्यायवाची शब्द जोड़ना है। अब यह मण्णन, पथियन, पेरुमण्णन, पेरुवण्णन, वण्णन और वेलन हो जाएगा। ओडिशा में दो जातियों को विलोपित करने का प्रस्ताव है। मौजूदा प्रविष्टि में बारिकी को हटाना है और कुमारी को हटाना है। इन दोनों को हटाने का प्रस्ताव है। यह वहां से अब यह विलोपित हो जाएगी। पश्चिमी बंगाल में क्षेत्र प्रतिबंध हटाना है, मतलब एरिया में विस्तार करना है। अभी चेन, मालदा, मुर्शीदाबाद, नादिया, दक्षिण दिनाजपुर जिलों में यह है। अब चेन क्षेत्र में भी इसका विस्तार हो जाएगा। कुल मिलाकर लोक सभा ने इसको सर्वानुमति से पास किया है। मेरा यह निवेदन है कि इस सदन में भी इस पर सर्वानुमति मिले।

सर, मैं आपकी अनुमति से एक निवेदन और करना चाहता हूँ। इस विधेयक में एक माननीय सदस्य श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी ने एक संशोधन प्रस्ताव दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि नियम 96(1) के अनुसार "संशोधन विधेयक को परिधि के भीतर होगा", अर्थात् जो

[श्री थावर चन्द गहलोत]

संशोधन उन्होंने प्रस्तुत किया है, वह यहां प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि संशोधन विधेयक की परिधि के भीतर होगा और जिस खंड से उसका सम्बन्ध हो, उसके विषय से संगत होगा। यहां उत्तर प्रदेश की कोई जाति नहीं है। उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित कोई प्रावधान खंड के रूप में नहीं है, इसलिए उनका यह जो संशोधन प्रस्ताव है, वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसके साथ ही इसका भाग 3 आप देखें, तो कोई संशोधन उसी प्रश्न पर राज्य सभा के पूर्व निर्णय से असंगत न होगा। मैंने पिछले सत्र में ही उनके जो संशोधन हैं, अभी जिन पर चर्चा चल रही है और इस सदन ने उसको अस्वीकृति दी है, असहमति दी है, इसलिए ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: When the amendment is taken up, you can say this.

श्री थावर चन्द गहलोत: मैंने इसीलिए निवेदन किया कि इस अवसर पर मैं बता दूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can say this at that time.

श्री थावर चन्द गहलोत: साधारणतया उस समय बोलना चाहिए, परन्तु ऐसे समय में भी अगर मैं बोलूं, तो प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के रूप में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

सर, अगर आप इसका भाग 8 देखें, तो इसमें है कि 'सभापति किसी ऐसे संशोधन को प्रस्थापित करने से इंकार कर सकेगा, जो उनकी राय में इन नियमों का उल्लंघन करता हो।'

श्री उपसभापति: ठीक है, ठीक है।

श्री थावर चन्द गहलोत: उनका संशोधन इन नियमों का उल्लंघन करने वाला है। इसलिए उसको स्वीकार न करें, मैं इतना निवेदन करता हूं।

The question was proposed.

श्री शमशेर सिंह डुलो (पंजाब): उपसभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे "संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016" पर बोलने का मौका दिया। मैं इस विधेयक के समर्थन में in principle खड़ा हुआ हूं।

[उपसभाध्यक्ष (डा. ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन) पीठासीन हुए]

सर, भारत की आजादी के बाद 1950 में माननीय राष्ट्रपति जी ने देश के विभिन्न राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को Article 341(1) में include किया था। उसके बाद इन जातियों को कुछ प्रोत्साहन भी मिला, रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिला, पर आज तक हम देख रहे हैं, कि ये सदियों से गुलामी, disparity, atrocity और छुआछुत से जूझ रहे हैं। यह जो क्लास है, यह under privileged class है और इस क्लास के लिए different योजनाएं भी बनाई हुई हैं। ये योजनाएं हर स्तर पर बनी हुई हैं। मैं समझता हूं कि उनको पूरा लागू नहीं किया गया। विडंबना इस बात की है कि देश में जात-पात का जो सिस्टम है, यह हिन्दू सोसाइटी की देन है। हिन्दू सोसाइटी, मनुस्मृति, जिन्होंने इस समाज को भी बांटा और इस देश को भी बांटने की कोशिश की। ऋग्वेद में जिक्र आता है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, उनके बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुए, उनकी नाभि से वैश्य पैदा हुए और उनके पांवों से शूद्र पैदा हुए। ये

कट्टरपंथी हिन्दू फिरकापरस्ती की वजह से इस देश में सदियों से इन लोगों के साथ ज्यादाती होती रही है, इसीलिए डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में प्रावधान रखा कि ये जो पिछड़े हुए हैं, untouchables हैं, जो शोषित हैं, जो educationally, economically, socially पिछड़े हुए हैं और मैं political भी कह सकता हूँ, उनके लिए संविधान में प्रावधान रखा गया। यह ठीक है कि रिजर्वेशन के तहत एमएलए और मिनिस्टर बनते हैं और कुछ लोग रिजर्वेशन की वजह से क्लास वन में आईएस और आईपीएस भी बनते हैं, पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन लोगों में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अब तक जितना सुधार होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है। ये लाखों की तादाद में नहीं है, बल्कि हजारों की तादाद में हैं। ये जो दलित समाज हैं, अगर देखा जाए तो पता चलेगा कि हिन्दुस्तान में इसकी आबादी सबसे ज्यादा है। देश का जो बजट बनता है, उसके component plan में आबादी के अनुसार इनके लिए बजट रखना चाहिए। इसी तरह जो स्कीमें बनती हैं, उनमें इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। नीति जरूर बनती है पर सरकारों की नीयत ठीक नहीं होती है। अभी हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ जातियों को शामिल किया गया है। इसके लिए in principle हम इनके साथ हैं, पर स्टेट गवर्नमेंट की recommendations, एससी कमिशन की recommendations, सेक्रेटरी जनरल की recommendations, ये जो criteria और पॉलिसीज हैं, ये transparent होनी चाहिए। यह शेड्यूल्ड कास्ट लफ्ज जो है, यह उनके लिए है, जिन्हें untouchable कहा जाता है। जिनके साथ शूद्रों जैसा सुलूक होता था। जो जनरल कैटेगरी में आते रहे हैं या दूसरी कैटेगरी में आते रहे हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, चाहे वे किसी भी जाति से हों, उनको बेनिफिट जरूर देना चाहिए। मैं देखता हूँ कि पहले से जो शेड्यूल्ड कास्ट्स में हैं, उनको आप अब तक अपलिफ्ट नहीं कर सके हैं। हमारे यहां जो सिस्टम है, उसमें भी इसी तरह की partiality है, चाहे वह न्याय का सिस्टम हो, चाहे स्टेट को फंड देने की बात हो। डिपार्टमेंट्स में भी अभी तक रिजर्वेशन पूरी नहीं हुई है, चाहे वे सेंटर के डिपार्टमेंट्स हों या स्टेट के डिपार्टमेंट्स हों। इनके लिए फंड भी इनकी पॉपुलेशन के मुताबिक मुहैया नहीं होता है। मैं पंजाब स्टेट से आता हूँ, जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट्स की आबादी 30.5 परसेंट है और स्टेट की कुल आबादी लगभग 2 करोड़ 77 लाख है। उनमें से 86 लाख 66 हजार शेड्यूल्ड कास्ट्स के हैं। वहां पर भी हम देखते हैं कि अभी भी काफी सर्विसेज में बैकलॉग पूरा नहीं हुआ है, चाहे वह क्लास थ्री में हो या क्लास फोर में हो, इसीलिए फंड डायवर्ट किए जाते हैं, जो एजुकेशन के लिए हों या हेल्थ के लिए हों। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर तथा न्याय में भी इनके साथ जो ज्यादाती होती है, वह आपको पता है। मैं अब भी ऐसा समझता हूँ कि देश आजाद जरूर है, पर गरीब लोगों को आजादी नहीं मिली। अब इस देश में मंदिरों में जाने से मनाही है, हमारे यहां गुरुद्वारों में कई दफा भीड़ भी नहीं मिलती। हमारे बच्चों को अगर शादी करनी हो, तो वे इस मुल्क में घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, कुएं से पानी नहीं ले सकते। यह आजादी किस टाइप की आजादी है, जहां पर बराबरी न हो, disparity हो? समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है। आज देश में इस तरह के हालात बने हुए हैं कि जब दूसरे लोग भी रिजर्वेशन मांग रहे हैं। पहले ही रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है, अब agitations भी होती है। इसकी मांग वे भी कर रहे हैं, खाते-पीते लोग हैं, जिनके पास जायदादें हैं। यह रिजर्वेशन सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट्स और दलितों को मिली थी, जिनको मेनस्ट्रीम में लाना था, लेकिन अब दूसरे लोग भी इसकी मांग कर रहे हैं। जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं, पहले आप उनकी तरफ देखिए, नहीं तो उनकी सोशल ओर इकोनॉमिकल लाइफ में सुधार नहीं होगा। उनकी पोलिटिकल लाइफ तो ठीक है, वे कई बार मिनिस्टर भी बन जाते हैं, एमएलए भी बनते हैं। मैं समझता हूँ कि उनके साथ पोलिटिकली भी disparity होती है। आप

[श्री शमशेर सिंह डुलो]

देखिए कि यह एनडीए का राज है, इसमें जो शेड्यूल्ड कास्ट्स वजीर बनते हैं, उनको तो अच्छे महकमें भी नहीं दिए जाते, बाकी की बात तो छोड़िए। हमारी सरकारें भी रही हैं, उनमें वे लोग होम मिनिस्टर रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं। बूटा सिंह जी, शिन्दे जी, ये सारे मिनिस्टर रहे हैं, जिनको अच्छे-अच्छे डिपार्टमेंट्स दिए गए।

अब आप डा. बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि जो लोग डा. बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोध करते रहे, उनकी पॉलिसियों का विरोध करते रहे, वे अब डा. बाबा साहेब की जयंती मनाने जा रहे हैं। देर आए, दुरुस्त आए। अब इनको पता चला है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि केवल बाबा साहेब की जयंती मनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अगर गवर्नमेंट sincere है, तो उनकी जो नीतियां हैं, जो वे कहकर गए हैं, जो वे विधान में देकर गए हैं, उन पर चलना होगा। मोदी जी डा. बाबा साहेब के जन्म स्थान पर गए थे, लेकिन उनके जन्म स्थान पर जाना ही काफी नहीं है। शेड्यूल्ड कास्ट्स की जो पीड़ा है, जो दर्द है, उनके साथ जो disparity होती है, एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस में वेमुला का सुसाइड करना, कन्हैया के साथ जो व्यवहार हुआ और स्कूलों-कॉलेजों में शेड्यूल्ड कास्ट्स के साथ जो व्यवहार होता है, उसको दूर करने की जरूरत है, तभी हम समझेंगे। केवल उनकी जयंती मनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उनके जो उसूल हैं, वे जो सिद्धांत देकर गए हैं, वे संविधान में शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए जो प्रावधान करके गए हैं, उनको भी ध्यान में रखना होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज शेड्यूल्ड कास्ट्स से नहीं है। चाहे आप हाई कोर्ट की बात करें या कहीं और की बात करें, किसी भी डिपार्टमेंट में अभी तक उनका बैकलॉग भरा नहीं गया। यह service disparity है। हमारे यहां डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, अनइम्प्लॉइड हैं, वे बहुत डिप्रेशन में हैं, इसलिए सही बात तो यह है कि इन पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। केवल जयंती मनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन पर रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया जाना चाहिए। रिजर्वेशन में जिन कास्ट्स को इन्क्लूड किया जाता है, उसकी पॉलिसी टाइम फ्रेम होनी चाहिए। यह एससी कमीशन को भी देखना चाहिए, क्योंकि वोट की राजनीति में लोगों को लुभाने के लिए कई दफा उन कास्ट्स को इन्क्लूड कर लिया जाता है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि जो अच्छत हैं, उनको अब भी अच्छत समझा जाता है, चाहे वे किसी भी पोजिशन पर पहुंच जाएं। यह जिस समाज की देन है, जिस हिन्दू फिरकापरस्त की देन है, जिनकी बदौलत यहां जात-पात आई है, जिन्होंने समाज को बदला है और यहां जात-पात पैदा की है, उन लोगों को यह चाहिए कि वे यह देखें कि इस देश में जो गरीब लोग हैं, चाहे वे किसी भी जाति के क्यों न हों और जो शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, अगर उनको मेनस्ट्रीम में लाना है, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। उन्हें आबादी के मुताबिक फंड मिलने चाहिए। जिस-जिस डिपार्टमेंट में backlog है, वहां रिजर्वेशन के backlog को पूरा किया जाना चाहिए। Universities में जो कुछ हो रहा है, वहां पर भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है, Universities में एक thought, एक vision देने की बात चल रही है। जहां हमारे स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं, वे एजुकेशन के मंदिर होते हैं, इन मंदिरों में भी छूआछूत की बात चल रही है। इस संबंध में सरकार को सोचना चाहिए। केवल पंजाब ही नहीं, अब तो जम्मू-कश्मीर में भी यह सब हो रहा है। वहां पर स्टूडेंट्स हड़ताल कर रहे हैं। जो भी बजट का हिस्सा है, वह शेड्यूल्ड कास्ट्स को मिलना चाहिए। डा. अम्बेडकर ने कहा था कि मनुस्मृति या दूसरी स्मृति से ...(व्यवधान)...

SHRI THAAWAR CHAND GEHLOT: Sir, he should speak on relevant matter. ये जनरल भाषण दे रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Try to confine yourself to the topic.

श्री शमशेर सिंह डुलो: सर, यह ठीक है कि लोग रिजर्वेशन चाहते हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन है, वह भी अभी तक पूरा नहीं हो सका। जो शेड्यूल्ड कास्ट्स को मिलना चाहिए था, वह कभी कहीं नहीं मिला। यह disparity की बात है। सर, केवल डा. अम्बेडकर की जयंती मनाना ही काफी नहीं है। असल में सरकार को चाहिए कि वह अपनी नीयत को साफ रखे। नीति बनी हुई है, नीयत नहीं है। इसको लागू करने वाले का मन साफ नहीं है। मन साफ करके इन गरीबों की पहचान करें। ठीक है, गरीब, गरीब होता है। महोदय, कोई शेड्यूल्ड कास्ट्स कहलाना नहीं चाहता है, लोग दुखी होते हैं, लेकिन जो पिछड़े हैं, उन्हें तो अभी तक उसके benefits नहीं मिले हैं, केवल कुछ लोगों को मिले हैं। जो फंड होते हैं, वे भी उन्हें नहीं दिए जाते। अब तक उनको पूर्ण आजादी नहीं मिली है। जब इस देश का दलित खुशहाल होगा, छूआछूत से रहित होगा, उसके साथ disparity नहीं होगी, उसको कोर्ट में न्याय मिलेगा, तब हम कह सकेंगे कि उन लोगों को पूर्ण आजादी मिल गई है। मैं बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन उसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि इसको identify करते हुए ध्यान में रखना चाहिए। रिजर्वेशन को लेकर अभी भी इस देश में काफी agitations होते हैं, जो लोग well-off हैं, उन्हें राजनीतिक कारणों से इसमें इन्क्लूड किया जाता है, यह गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए मैं आपकी मार्फत गुजारिश करूंगा कि इस संबंध में हर लेवल पर, educationally, politically, economically और socially ध्यान दिया जाए। इन गरीबों के पास न धन है, न ही धरती है, केवल एजुकेशन है, उसका भी privatization हो रहा है। Employment है, लेकिन उस क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर को, corporate sector को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनमें भी जो गरीब बच्चे हैं, जो एजुकेशन प्राप्त करके आते हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिलती। जब वे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए जाते हैं, अगर वहां पर उन्हें पता चल जाए कि यह शेड्यूल्ड कास्ट्स का लड़का है तो उसे नौकरी नहीं दी जाती। आप "स्वच्छ भारत" की बात कर रहे हैं, पहले इस हिन्दुस्तान को साफ कीजिए, इसे जात-पात के बंधन से मुक्त कीजिए। मैं मोदी जी से विनती करूंगा, वे "स्वच्छ भारत" की बात करते हैं, "मन की बात" करते हैं, वे अपना मन बनाएं कि इस देश से छूआछूत को खत्म करना है। यह तो disparity है, यह हर institution में हो रही है। यहां एनडीए की सरकार में शेड्यूल्ड कास्ट्स के कितने वजीर हैं? कौन से महकमें इनके पास हैं? जब हमारी सरकार थी तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी शेड्यूल्ड कास्ट्स के होते थे, होम मिनिस्टर भी शेड्यूल्ड कास्ट्स के होते थे, बूटा सिंह जी जैसे agriculture minister थे, सिंधिया साहब जैसे होम मिनिस्टर थे, इन्हें यूपीए गवर्नमेंट ने बनाया। एनडीए गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के पास तो अच्छे विभाग ही नहीं हैं, इन्हे तो अब भी शेड्यूल्ड कास्ट्स ही समझा जाता है यह हालत सरकार की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी किया है, वह कांग्रेस की सरकार ने किया है। जो कुछ भी इस देश की तरक्की हुई है, जो जमीनें दी गईं, वे इंदिरा जी के जमाने में दी गईं, सारे हिन्दुस्तान में इंदिरा जी के जमाने में जमीनें दी गईं थीं। ये क्या दे रहे हैं? ये देने के बजाय हमसे छीन रहे हैं। इसमें जो दूसरी जातियां include की जाती हैं, वह गरीब लोगों का हक मारने के लिए की जाती हैं। महोदय, एक क्लीयर-कट पॉलिसी बनानी चाहिए कि अछूत कौन है, दूसरा कौन है।

[श्री शमशेर सिंह डुलो]

अगर किसी कास्ट को benefit देना है तो उसे economically backward class डिक्लेयर करके देना चाहिए। जो शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, अफसोस की बात है कि आजादी को 67 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें जो कुछ भी दिया है, वह कांग्रेस ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जय हिन्द।

श्री अमर शंकर साबले (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, हिंदवी स्वराज निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज की जय-जयकार करते हुए, मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। महामानव, भारत रत्न डा. भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस भारत देश का संविधान लिखा और उस संविधान पर पूरा देश चलता है। उस मूकनायक महामानव डा. भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मैं हृदय से वंदन करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस सदन में बड़े-बड़े महानुभावों ने देश हित में काम करके देश की गरिमा बढ़ाई है, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। इस सदन में काम करने का जिन्होंने मुझे मौका दिया और जिन्होंने कहा कि देश का संविधान अगर बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा होता, तो मैं इस देश का प्रधान मंत्री कभी नहीं बनता, ऐसे श्रद्धेय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का अभिवादन करता हूँ। इस सदन के सभी नेता और सांसदों को प्रणाम करके, मैं संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 पर अपने विचार आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

मैं सबसे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके नेतृत्व में काम करने वाले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, श्री थावर चन्द गहलोत और उनकी सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भारत रत्न डा. भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 125वें जन्मगांठ वर्ष को "समता वर्ष" घोषित करके पूरे देश में समरसता का भाव प्रकट किया है।

इस 125वें जन्मगांठ वर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2016, ये समरसता के भाव की पहचान देने वाला संशोधन है। इस संशोधन की बहुत कुछ विशेषता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में किए गए सख्त प्रावधानों के बावजूद अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध जारी अत्याचार चिंता का विषय है। एससी, और एसटी के विरुद्ध अत्याचार की अधिक घटनाएँ यह भी दर्शाती हैं कि पीओए अधिनियम का निरोधक प्रभाव अपराधियों पर समुचित रूप से नहीं पड़ रहा है।

अतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अपेक्षाकृत अधिक न्याय प्रदान करने के साथ-साथ अपराधियों पर सख्त निवारक प्रभाव डालने के उद्देश्य से इस अधिनियम को समुचित रूप से सुदृढ़ किए जाने तथा इस अधिनियम के संगत प्रावधानों को और अधिक प्रभावी बनाने पर विचार किया गया है।

इस संशोधन अधिनियम की और मुख्य विशेषताएँ हैं। अत्याचार के नए अपराध जैसे — सिर, मूँछ मुँडवाना अथवा इस प्रकार के अन्य कार्य जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले हैं, जूतों का हार पहनाना, सिंचाई सुविधाओं अथवा जंगलों में प्रवेश से रोकना, मानव अथवा पशुओं के शवों का निपटान अथवा उन्हें उठाना अथवा

कब्र खोदना, हाथ से मैला उठाने के लिए कहना, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की महिला को देवदासी बनाना, जातिगत नाम से गाली देना, जादू-टोना करके अत्याचार करना, सामाजिक अथवा आर्थिक बहिष्कार करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला को निर्वस्त्र करके चोट पहुंचाना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को घर, गांव अथवा आवास छोड़ने के लिए मजबूर करना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की पवित्र वस्तुओं को दूषित करना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को कामुक रूप से स्पर्श करना अथवा ऐसे शब्दों का उपयोग करना, ऐसे कार्य करना अथवा भावभंगिमा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आहत करने, गम्भीर रूप से चोट पहुंचाने, धमकाने, अपहरण करने आदि जैसे कतिपय आईपीपी अपराधों को पीओए अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के रूप में शामिल करना जिनके लिए 10 वर्ष से कम अवधि के कारावास का प्रावधान है। पूर्व में, 10 वर्षों अथवा इससे अधिक अवधि की सजा के प्रावधान वाले आईपीसी में सूचीबद्ध तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों को ही पीओए अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों के रूप में माना जाता था। मामलों के शीघ्र और त्वरित निपटान के लिए पीओए अधिनियम के तहत अपराधों के अनन्य रूपा से निवारण हेतु अनन्य न्यायालयों की स्थापना तथा अनन्य विशेष लोक अभियोजक का वर्गीकरण। अपराध का सीधे संज्ञान लेने के लिए विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों की शक्ति तथा चार्जशीट दायर करने की तारीख से दो माह के भीतर मामले का विचारण 'यथासंभव' पूरा करना है। यह 'यथासंभव' शब्द निकाल देना चाहिए, क्योंकि यदि यह यथासंभव शब्द नहीं निकाला गया, तो मामले का विचारण करने की कोई सीमा नहीं रहेगी। इसलिए यथासंभव शब्द को निकालकर दो महीने या तीन महीने के भीतर मामले का विचारण पूरा करना। 'अपील' पर नई धारा जोड़ना निर्णय के विरुद्ध आदेश दिए जाने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर अपील की जानी होती है। 'पीड़ितों और गवाहों के अधिकार' पर एक अध्याय जोड़ना— पीड़ितों उनके आश्रितों और गवाहों के लिए जबर्दस्ती हिंसा और शोषण के विरुद्ध प्रावधान करने का दायित्व राज्यों पर डाला गया है। शिकायत दर्ज करने या गवाहों की गवाही रिकार्ड करने, जांच करने और आरोप पत्र दाखिल करने तथा इस अधिनियम और नियमावली में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कर्तव्य का वहन करने में सरकारी कर्मचारी की जानबूझकर लापरवाही को परिभाषित किया गया है। अपराधों की अवधारणा को जोड़ना यदि आरोपी पीड़ित अथवा उसके परिवार को पहले से जानता है, तो न्यायालय यह मानेगा कि आरोपी की पीड़ित की जाति अथवा जनजाति के बारे में पहले से संज्ञान था, जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो।

ये सब विशेषताएं इस अमेंडमेंट में हैं। इससे जिस एससी/एसटी के ऊपर अत्याचार हुआ है, उनको जल्दी न्याय और राहत मिलेगी तथा अत्याचार करने वालों को सख्त दंड मिलेगा। एक तरफ कानून में अमेंडमेंट करके एससी/एसटी वर्ग को न्याय देना और दूसरी तरफ एससी/एसटी का विकास करने हेतु अनेक योजनाएं मोदी सरकार ने बनाई हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का अधिदेश एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिसमें लक्ष्य समूह अपनी समृद्धि और विकास के पर्याप्त समर्थन के साथ उपयोगी, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 दिनांक 1.1.2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम 26 जनवरी, 2016 से लागू हो गया है। वर्ष 2015 में संसद में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश

[श्री अमर शंकर साबले]

(संशोधन) अधिनियम, 2015 पारित किया, जिसके माध्यम से हरियाणा, कर्णाटक, ओडिशा और दादर और नागर हवेली में अनुसूचित जातियों की सूचियों में नए समुदायों को जोड़ा गया था।

अनुसूचित जाति उद्यमियों के लिए 'उद्यम पूंजी निधि योजना' के तहत 135.91 करोड़ रुपये के 36 प्रस्ताव अनुमोदित हैं। 15 मामलों के लिए 64.86 करोड़ रुपये का वितरण कर दिया गया है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम ने 250 महिलाओं को मोटर ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया है, जिनमें से 60 महिलाओं को काम भी मिल गया है। NSFDC की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 2.5 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को Stand Up India में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 500 करोड़ रुपये के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए हब तैयार किए जाएंगे। मुद्रा योजना में आज तक करीब 3.22 करोड़ ऋण दिए हैं। उनमें से 72.89 ऋण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को दिए गए। भारत सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के पास सामान और सर्विस खरीदने के विशेष प्रावधान हैं, जिनके अनुसार कम से कम 20 per cent खरीद सूक्ष्म और लघु उद्यम से और कम से कम 4 per cent की खरीद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमी से करवाने के लिए सशक्त कार्यवाही की जा रही है।

इस देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ मोदी सरकार ने जंग छेड़ी है। इसके बावजूद बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर जो उनके पावन पंच तीर्थ हैं, उनका विकास करने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। जहां बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ, वह महु गांव, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आखिरी सांस ली, वह 26, अलीपुर का बंगला, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वह नागपुर की दीक्षा भूमि और बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मूल गांव, रत्नागिरि जिले में जो आंबडवे गांव है, उसके निर्माण कार्य को भी उन्होंने अपने हाथ में लिया है। मुझे उम्मीद है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के मूल गांव आंबडवे में ऐसा स्मारक बनाया जाएगा, जैसा पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं होगा। मोदी सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मिशन लेकर चल रही है, इसलिए मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, लोक सभा द्वारा 15 मार्च, 2016 को संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित हुआ है। हरियाणा, केरल, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में जातियों की जो विसंगतियां थीं, जिनका खान-पान, शादी ब्याह, रोटी-बेटी का रिश्ता एक था, केवल पाई मात्रा का भेद था, उनके लिए राज्य सरकारों ने प्रस्ताव भेजा था। इसके तहत माननीय मंत्री जी इस विधेयक को राज्य सभा में लाए हैं, ताकि इनकी विसंगतियां दूर कर दी जाएं और इनको अनुसूचित जाति की सुविधा दे दी जाए।

मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि ये विसंगतियां आपने दूर कर दी हैं। बिहार सरकार ने मल्लाह, नाई, राजभर, धानुक, खतवे, बिन्द और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, धीवर, बिन्द, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी, मछुवा, भर, राजभर, कुम्हार, प्रजापति इत्यादि को शामिल किया है। कई अन्य राज्यों ने भी केंद्र सरकार को अपने सुझाव और प्रस्ताव भेजे हैं, जिनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति खराब है।

माननीय मंत्री जी से हमारा यह कहना है, मंत्री जी अभी कह रहे थे कि आपने गलत संशोधन दिया है, यह संशोधन नहीं देना चाहिए था। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नियम संविधान से चलते हैं, कानून से चलते हैं। एक सदस्य की हैसियत से हमने राज्य सभा के माननीय सभापति जी को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। माननीय सभापति जी ने हमारा संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भी कर लिया था और उसे सर्कुलेट भी करा दिया था, लेकिन इसके बाद आप राज्य सभा की पीठ के निर्णय पर आक्षेप लगाते हैं कि यह निर्णय गलत है।

महोदय, हम अपनी तरफ से बताना चाहते हैं कि किस तरह से आपने इन जातियों में विसंगतियाँ दूर की हैं, जैसे दिल्ली में मल्लाह है। आप बताइए, मल्लाह कौन होता है? दिल्ली में अनुसूचित जातियों में नाव चलाने वाला मल्लाह होता है, वहीं उत्तर प्रदेश में मल्लाह बैकवर्ड क्लास में आता है और मझवार, मांझी नाव चलाने वाला होता है।

1950 की अनुसूचित जाति की सूची में उत्तर प्रदेश में क्रम संख्या 53 पर मझवार अनुसूचित जाति में आता है। अब उसकी उप-जातियाँ या समनामी जातियाँ मल्लाह, केवट मांझी, निषाद, मछुवा इत्यादि हैं। हमने यह अनुरोध किया था कि इनको भी इसमें जोड़ दिया जाए, जैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में बेलदार के साथ बिन्द को जोड़ दिया जाए, गोंड के साथ गोड़िया, कहार, कश्यप, बाथम जोड़ दिया जाए। क्रम संख्या 59 में पासी, तरमाली के साथ राजभर को जोड़ दिया जाए, शिल्पकार के साथ कुम्हार, प्रजापति को जोड़ दिया जाए। क्रम संख्या 66 में तुरैहा के साथ धीमर और धीवर जोड़ दिया जाए। अभी राज्य सभा से हिन्दी-अंग्रेजी में सर्कुलेट हुआ है, तो उसमें लास्ट में तुरहा, धीमर जो है, तो इसको हिन्दी में धीवरा कर दिया। यह अंग्रेजी में धीवर है, लेकिन इसको धीवरा कर दिया। इसी तरह से त्रुटियाँ हो गईं। उन त्रुटियों को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा। वह प्रस्ताव एक बार नहीं भेजा गया, बल्कि यहां बार-बार प्रस्ताव भेजे गए। अभी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने 15 फरवरी, 2013 को प्रस्ताव भेजा, तो उन्होंने फिर क्वेरी लगा दी, तो 1 अप्रैल, 2015 को वह फिर से भेजा गया। इसके पहले भी, जब माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने भी प्रस्ताव भेजा था। इन जातियों की, जिनकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति खराब है, इनका कोई आईएएस नहीं है, कोई आईपीएस नहीं है या कोई कर्मचारी या अधिकारी नहीं है, यहां तक कि एक दारोगा भी नहीं मिलता है। इस तरह इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति खराब है। ये ऑलरेडी अनुसूचित जाति में पहले से हैं, लेकिन अब उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। रामचरित्र निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। मल्लाह अनुसूचित जाति में है। तो जो विसंगतियाँ आ गई हैं, उनको दूर करने के लिए ही मैंने आपसे अनुरोध किया है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब उत्तर प्रदेश सरकार में थे, तो उन्होंने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था। जब भारत सरकार नहीं मानी, तो उन्होंने एक अध्यादेश जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या 4, 1994 की धारा 13 की शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल ने उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करके कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द और राजभर को अनुसूचित जाति की सुविधा देने के लिए आदेश जारी कर दिया। उस समय आदेश हो गया, लेकिन उधर कुछ जो सोसाइटियाँ थीं, कुछ लोग थे, वे कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने स्टे कर दिया। इसके बाद पुनः प्रस्ताव आपके पास भेजा गया। मैं आपसे यही विनती करने के लिए आया हूँ कि यह मामला केवल उत्तर प्रदेश का नहीं

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

है, पूरे देश का है। मैंने अभी आपको यह बताया था कि पूरे देश में विसंगतियां हैं। मैं कई बार क्वेश्चन कर चुका, कई बार प्राइवेट मेम्बर बिल भी लाया। मंत्री जी कह रहे थे कि आप यह बिल क्यों न लाएं? माननीय मुलायम सिंह जी के अलावा हमारे यहां से किसी ने नहीं भेजा। पहले जब हमारे लोग यहां नहीं थे, उस समय 'भैया राम मुन्डा राम' नामक एक केस आया था, जिसमें उस समय यह विचार था कि विसंगतियां दूर कर ली जाएं। उस समय हमारा कोई एमपी नहीं था, न कोई राज्य सभा में था और न ही कोई लोक सभा में था। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे राज्य सभा में भेजा, तो हम लोगों ने कानून पढ़ा और देखा, तो हमने कहा कि 1950 की अनुसूचित जाति की सूची में दर्ज है, केवल इनकी विसंगतियां दूर की जानी हैं, तो मैं यह प्रस्ताव लाया। माननीय मंत्री जी बार-बार यही कह देते हैं कि आरजीआई आपत्ति लगाती है, आरजीआई इसको स्वीकार नहीं करती है। तो मान्यवर, यह देखना पड़ेगा कि पूरे देश में जो विसंगतियां हैं, जैसे मध्य प्रदेश में प्रजापति है, वह कहीं एससी में है, तो कहीं बैकवर्ड में है, तो इस विसंगति को कौन दूर करेगा? भारतीय संविधान में व्यवस्था है। सेंट्रल गवर्नमेंट को संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन करने की पावर है। केंद्र सरकार को पावर है कि वह लोक सभा राज्य सभा में इसे लाए। तो मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह जो बिल लाए हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप बार-बार यह कह देते हैं कि यह तर्कसंगत नहीं है, हम क्या करें? लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब आप चुनाव में जाते हैं, जैसे 2012 के विधान सभा चुनाव में गए, तो वहां 8.5 परसेंट मछुआरा समुदाय है और प्रजापति-राजभर की संख्या जो है, इन सबको मिलाकर करीब 11 परसेंट पहुंचती है, तब तो कहते हैं कि इनको अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे, अपने चुनावी एजेंडा में शामिल कर लेते हैं, लेकिन जब राज्य सभा में विशम्भर प्रसाद निषाद प्राइवेट मेम्बर बिल पेश करते हैं, उसका आप विरोध करते हैं और समाजवादी पार्टी के लोग समर्थन करते हैं। ...**(व्यवधान)**... तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की दोहरी नीति कि चुनाव में कुछ कहेंगे और यहां कुछ कहेंगे, ये विसंगतियां दूर करने का जो अधिकार है, वह पार्लियामेंट को है। तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि नियम-कानून को देख कर जो ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): आप विनती मत करिए, हक मांगिए ...**(व्यवधान)**...

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि आप इसमें संशोधन कीजिए और जो प्रस्ताव भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार ने, अखिलेश यादव जी की सरकार ने भेजा है, उसे आप मंजूर कीजिए। सर, अभी हरियाणा में हमने देखा। हम यह नहीं कहेंगे कि कौन संपन्न है और कौन संपन्न नहीं है। वहां पर भी गरीब हैं। हर जाति में गरीब होते हैं। जब हरियाणा में जाट समुदाय ने रेल जाम कर दी, बसें रोक दीं, रोड जाम कर दी, गैर-जाट लोगों की गाड़ियां जला दीं, दुकानें जला दीं, तो भारतीय जनता पार्टी और पूरी केंद्र सरकार खड़ी हो गई और तुरंत कमेटी बनाकर उनको आरक्षण दे दिया और मछुआ समुदाय, राजभर, प्रजापति समाज के लोग कानून के माध्यम से आपसे अपना हक मांग रहे हैं, वे लोग निवेदन कर रहे हैं...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Thank you. Time allotted to you is over. Please conclude.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्ताव भिजवा रही है, लेकिन आप उसको खारिज कर रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Kindly conclude now, please.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव होने वाले हैं। वहां पर ये मछुआ, प्रजापति, राजभर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेंगे। ...**(व्यवधान)**... आप इसको मंजूर कराइए, आप अपना वादा पूरा कीजिए, जो आपने 2012 में अपने चुनाव घोषणा-पत्र में किया था। आप अपना घोषणा-पत्र देख लीजिए। आप अपने चुनाव घोषणा-पत्र में वादा करते हैं, उसके बाद आप उससे मुकर जाते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Kindly conclude now, please.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: हम कोई अलग से इसमें जातियों को जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जातियां पहले से ही उत्तर प्रदेश में 1950 की जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची है, उसमें दर्ज है, चाहे वह शिल्पकार हो या मझवार जाति हो। शिल्पकार कौन होता है? शिल्पकार कुम्हार होता है, जो बर्तन बनाता है। उसी जाति को जोड़ने की बात मैं कर रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Okay. Thank you. You complete it now.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप हठ छोड़िए और उत्तर प्रदेश या बिहार के जो फिशरमैन समुदाय के लोग हैं, चाहे धानुक हों, उन सब लोगों के साथ न्याय कीजिए। अगर आप उन लोगों के साथ न्याय नहीं करेंगे, तो जिस तरह से बिहार में आपका हथ्र हुआ है, वही हथ्र उत्तर प्रदेश में होगा, चाहे आप कितने ही लोग छोड़ दीजिए या रथ यात्रा निकाल लीजिए। एक मुकेश साहनी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता आपको बिहार की तरह बाहर करने का काम करेगी। इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, परंतु साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा संशोधन पास कराया जाए।

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार): सर, बिहार में भी यही समस्या है। ...**(व्यवधान)**...

श्री के. सी. त्यागी (बिहार): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समाजवादी पार्टी के सांसद श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी की चिंताओं से अपने आपको संबद्ध करते हुए इस संविधान संशोधन विधेयक का दुखी और कमजोर मन से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कमजोर मन से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो जातियां पहले से ही SC, ST में हैं, वे अत्याचार, अपमान, उपेक्षा, शोषण, उत्पीड़न, गैर-बराबरी, अन्याय, तिरस्कार, इंसान और पशुओं के बीच के मामूली अंतर से जीने वाली जातीय सूची में उसी तरह की जिन्दगी जिएंगी, जैसी पहले से SC, ST की अन्य जातियां जिन्दगी को जी रही हैं। डा. अम्बेडकर, कांशीराम जी और रोहित वेमुला की तरह इन वर्गों में कुछ स्वाभिमानी नौजवान निकलेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं।

सर, दुनिया की जितनी भी संस्कृतियां हैं, जितनी भी सभ्यताएं हैं, सब में प्रगति हो रही है। जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है अमेरिका, उसने राष्ट्रपति के रहने के लिए एक जगह

[श्री के. सी. त्यागी]

बनाई थी, जिसका नाम था ह्वाइट हाउस। दुनिया इतनी बदल गई कि उसमें काला शामिल हो गया। ह्वाइट हाउस के अंदर काला आदमी जाकर बैठ गया, लेकिन हमारे भारतीय समाज में गांधी जी से लेकर, डा. अम्बेडकर से लेकर समाज को बदलने वाले, करवट लेने जिन लोगों ने इन सवालों को उठाया, उनको जितना अपमान झेलना पड़ा, सर, ऐसा अपमान किसी को नहीं झेलना पड़ा। डा. अम्बेडकर का जो चपरासी था, वह भी फाइलों को मेज पर फेंक करके जाता था, जो दुनिया के विद्वान लोगों में से एक हुआ है। हमारे बिहार के नेता थे कर्पूरी ठाकुर जी। वे अति पिछड़ी जाति में पैदा हुए थे। वे 'नाई' जाति में पैदा हुए थे, लेकिन आज़ादी की लड़ाई के दौरान वे जेल में रहे और बिहार में उनसे ज्यादा travel और किसी नेता ने नहीं किया, लेकिन उनको उनकी गैर-हाजिरी में कर्पूरी जी नहीं कहते थे, बल्कि उनको 'नौआ' कहते थे। यानी कि जाति भी आप बनाओ, जाति को घटिया साबित भी आप करो और उन्हीं सम्बोधनों से उन्हीं वर्गों के लोगों को अपमानित करने का काम भी आप करो। सर, ऐसा असम्भव, बर्बर और अगर यह असंसदीय नहीं है, तो जाहिल समाज दुनिया में हमें देखने-सुनने को नहीं मिला, जहां इंसान-इंसान के बीच में इतनी गैर-बराबरी है।

सर, समूचे देश में जब-जब भी इन वर्गों के उत्साही, स्वाभिमानी और समानता की जिन्दगी जीने की चाह रखने वाले लोगों ने थोड़े-बहुत कदम उठाए, उनकी बारात चढ़ने नहीं दी गई। ऐसे दर्जनों किस्से हैं कि जब इन गरीब वर्गों या जातियों का कोई दूल्हा शादी करने के लिए जा रहा था, तो उसको उतारकर उसकी पिटाई की गई। ऐसे कुछ खास मोहल्ले तय हो गए, जहां इन शूद्रों की औलादें शादियां करने के लिए भी घोड़े पर बैठकर नहीं जाएंगी, क्योंकि घोड़े या रथ पर बैठकर जाने की परम्परा का निर्वह करने वाली कुछ जातियां या समूह, जिनके नाम यह रुतबा और जलवा कायम हैं, रजिस्टर्ड हैं और सुरक्षित हैं।

सर, ये जातियां शेड्यूल्ड कास्ट्स में शामिल हो जाएंगी और इनका भला हो जाएगा, यह गलतफहमी गहलोत साहब को हो सकती है, जो खुद एक सामान्य दलित परिवार से आते हैं, लेकिन मेरे राजनीतिक जीवन का यह अनुभव है कि इन वर्गों को कोई राहत मिलेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन आपने एक अच्छा काम किया है, उसका विरोध करने का साहस मेरा इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं, मेरी पार्टी और मेरे नेता डा. लोहिया इन वर्गों की हिमायत में लम्बे समय से रहे हैं।

सर, अब मैं हायर एजुकेशन की बात करूं। अगर रोहित का केस न हुआ होता तो बहुत सारे जो एकलव्य शहीद हुए, उनका इतिहास में जिक्र नहीं होता। 18 दलित छात्रों ने सुइसाइड किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती जब आप कम से कम एक बार भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जाते। ...**(व्यवधान)**... ऐसा है कि आपके वर्गों के अत्याचारों से ही तंग आकर वे लोग ऐसा काम करते हैं, इसलिए मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता। सर, वह बड़ी भारी पीड़ा है। मनोज सिन्हा जी की सरकार का ही सरकारी आंकड़ा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो का यह आंकड़ा है कि देश में हर 14 मिनट में किसी न किसी दलित के साथ अत्याचार होता है। मैं चाहता हूं कि गहलोत जी इस विभाग के मंत्री हैं, वे मना करें कि मैं असत्य बोल रहा हूं, ताकि मेरे और इनके बीच एक और बहस हो जाए। चार दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। जब दिल्ली में सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो हम लोग मोमबत्ती लेकर इंडिया गेट पर जाते हैं, लेकिन जहां ये घटनाएं होती हैं, वहां रोशनी भी मद्धिम होती है और मोमबत्तियां भी उपलब्ध नहीं होती हैं, मैं उन वर्गों का जिक्र यहां करना चाहता हूं।

4.00 P.M.

सर, हर सप्ताह 13 दलित मारे जाते हैं, दिल्ली में नहीं, कनॉट प्लेस में नहीं, गुड़गांव में नहीं, नोएडा में नहीं बल्कि जहां सभ्यताओं के विकास नहीं हुए हैं, उन इलाकों की मैं बात कर रहा हूं। नरेंद्र तोमर जी आप समझ रहे होंगे। छः दलितों का अपहरण किया जाता है। वर्ष 2013 की क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक, 1,574 दलित महिलाओं के साथ उस साल रेप हुआ, 651 दलित मारे गए। उनको नंगा करके घुमाने और परेड कराने का जिक्र अभी मेरी बाई बाजू के कोई साथी कर रहे थे। ये रोजमर्रा की चीजें हैं। एससीज़-एसटीज़ के 71.3 परसेंट बच्चे हाई स्कूल आते-आते अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। जिन जातियों को आप इन वर्गों या समूह में शामिल कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**... गहलोत जी, आप इनसे बाद में बात कर लीजिएगा। मैं आपसे गंभीर बात कहने जा रहा हूं। एससीज़-एसटीज़ के 71.3 परसेंट बच्चे और बच्चियां हाई स्कूल आते-आते अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और कभी-कभी गलती से उनमें रोहित पैदा हो जाते हैं, अम्बेडकर पैदा हो जाते हैं, कांशीराम पैदा हो जाते हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप एक दर्जन जातियों को उसी चक्रव्यूह में डाल रहे हैं, जिसमें पहले से ही वेदना, तकलीफ, गैर-बराबरी और असमानता है।

सर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस समय जिस तरह की सभ्यता का विकास हो रहा है, माफ कीजिएगा, अंग्रेजों के समय में भी जातिगत भेदभाव इतना नहीं था। अंग्रेजों ने किसी की जाति पहचान कर उसके साथ अन्याय नहीं किया था। सर, अगर मेरी बहस लम्बी न हो, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं जब नौवीं लोक सभा में एमपी बनकर आया, तो मैं वेस्टर्न कोर्ट में ठहर गया। एक साइमन नाम का क्रिश्चियन बूढ़ा था, जो वहां सबको चाय देने आता था। वह काले रंग का था। मैंने उससे कहा कि आम तौर पर यह माना जाता है कि ईसाई गोरे होते हैं, लेकिन क्या बात है? उसने कहा कि मैं सन् 1947 में ही ईसाई बन गया था। जब मैंने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि सन् 1947 की जो असेंबली थी, जिसमें वेस्टर्न कोर्ट में एमपीज़ का दफ्तर था, जब मैं पहले दिन वहां चाय लेकर गया तो मुझसे पूछा गया कि तुम्हारी बिरादरी कौन सी है? जब उसने कहा कि बाल्मीकि है, तो उससे कहा गया कि चाय लेकर वापस जाओ। वही साइमन सन् 1990 तक ईसाई बनकर चाय पिलाता रहा। ऐसी क्रूर व्यवस्था, ऐसे क्रूर शोषण की जो बानगी है, वह दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। काले लोगों को न्याय मिल गया, लेकिन यहां के दलित, खास तौर से यहां की दलित महिलाओं को न्याय नहीं मिला। महोदय, एक तो दलित होना ही अपने आप में अभिशाप है, अगर दलित महिला हो तो गुलामी की क्रूरतम सीमा क्या होगी, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ने कुछ सवाल उठाए, भाजपा के मित्र ने कुछ सवाल उठाए, लेकिन इन तकलीफों की हिस्सेदारी के लिए भी सदन जिस तरह का भरा-पूरा होना चाहिए था, वैसा नहीं है।

श्री राजपाल सिंह सैनी (उत्तर प्रदेश): त्यागी जी, हमारी बहन कुमारी मायावती एक दलित महिला होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में राज कर रही हैं। वे गरीब लोगों की नेता हैं।

श्री के. सी. त्यागी: मेरी और आपकी बात में शायद ज्यादा फर्क नहीं है। आप पश्चिम यूपी के हैं, इसलिए कह सकते हैं। आपने शायद वे तकलीफें देखी या सुनी होंगी, जो इन वर्गों के साथ हुई हैं। जब हम पैदा हुए, जब हम बड़े हुए, हमारा स्कूल टीचर हमें हाथ से मारता था और जो हमारा दलित मित्र गौतम था, उसे डंडे से मारता था। ये असमानताएं हमारे पैदा होने के साथ हैं। हम लोगों के नाम अलग होते थे, वे राम भरोसे, राम खिलावन, राम सुभावन, राम लुभावन थे, उनके नाम भी अलग होते थे क्योंकि वे राम के भरोसे थे। हमारे कुंवर चंद्र प्रताप,

[श्री के. सी. त्यागी]

वीर सिंह, मानवेंद्र कुंवर प्रताप— हम लोगों के नाम वीरताओं से भरे होते थे, चाहे हमारा पूरा इतिहास कायरता का भरा हुआ था। नाम से लेकर, पैदा होने से लेकर जिस दिन नाभि कटती है, उस दिन से लेकर मरने तक यह असमानता हमारे हिन्दुस्तान में रही। भारतीय उपमहाद्वीप का मुसलमान भी इस बीमारी से बचा हुआ नहीं है, मैं केवल हिन्दुओं के लिए नहीं कहना चाहता। इसी जाति व्यवस्था के खिलाफ सिख धर्म बना, इसी जाति व्यवस्था के खिलाफ बुद्ध धर्म बना। यह बौद्ध धर्म कई हजार साल और चलता। चूंकि जाति व्यवस्था पर इसका प्रहार था, इसलिए जो ताकतें जाति की समर्थक थीं, उन्होंने बौद्ध धर्म को चलने नहीं दिया। अगर आप मुझसे कहते तो दुनिया के जितने भी धर्म हैं, सबसे सहज और आसान बौद्ध धर्म है, लेकिन उसका गला भी इसलिए घोंटा क्योंकि वह जाति व्यवस्था को तोड़ता था।

महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, शायद मैं लम्बा बोल गया क्योंकि मेरा दर्द किताबों का पढ़ा हुआ ही नहीं है, मैं समाजवादी आंदोलन का एक कार्यकर्ता रहा हूं। हमारे जो डा. लोहिया थे, वे भोज कराते थे, उस ज़माने के समाजवादी के लिए यह mandatory था कि वह महीने में एक दिन किसी न किसी बाल्मीकि के यहां जाकर भोज में शामिल हो। सर, दुनिया बदल रही है। नयी आर्थिक नीतियां आ गयी हैं। उसके बारे में भी प्रचार है कि नयी हैं। ये नयी आर्थिक नीतियां किसी और के लिए नहीं, इन दलितों का, शूद्रों का गला घोटने के लिए आयी हैं क्योंकि सरकारी नौकरियों में थोड़ा-बहुत आरक्षण इन्हें मिल जाता था। अब जो नया ज़माना चला है, नए ज़माने के जो पैरोकार चले हैं, उनके रहते इन वर्गों के बच्चों को आगे आने वाले समय में नौकरी भी नहीं मिलेगी। सर, उत्तर प्रदेश समेत आधा दर्जन हिन्दुस्तान है, जहां एक भी वाइस चांसलर दलित नहीं है। जब दलित वाइस चांसलर नहीं होगा, तो उसको उन वर्गों के नौजवानों की पीड़ा का एहसास कैसे होगा? "जा के पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई?" इसलिए ये जो जातियां शामिल हो रही हैं, मैं इनका आदर, समादार करते हुए गहलोत जी से अपनी सक्रियता थोड़ी सी और बढ़ाने के लिए कहना चाहता हूं। जहां भी जुल्म ज्यादाती हो, जहां भी गैर-बराबरी हो, जहां भी अन्याय हो, आप भी वहां पर जाने का काम करें। आपके हैदराबाद न जाने तक और हैदराबाद की ट्रेजेडी को सरकारी पक्ष की तरफ से प्रस्तुत करने के लिए, मुझे आपसे पीड़ा भी है। ...**(व्यवधान)**... आप पहले से ही पीड़ा में हैं, इसलिए मैं आपकी पीड़ा को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सतीश चंद्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): आपने जिस प्रदेश का जिक्र किया है, आज सुबह ही उन्होंने जवाब दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो दलित बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक नये पैसे की डिमांड समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं की है। इसीलिए इन्होंने दिया नहीं है। ...**(व्यवधान)**... यह तो इनकी समानता की बात है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन): श्री वीर सिंह ...**(व्यवधान)**... आप लोग बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... श्री वीर सिंह ...**(व्यवधान)**...

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 पर, जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 के संबंध में हरियाणा, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्यों में अनुसूचित जातियों की सूची का संशोधन या विद्यमान प्रविष्टियों को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया गया है, उस पर बोलने के लिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से खड़ा हुआ हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज समाज की सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे उन व्यक्तियों की आवाज उठाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, जिनको सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से आज भी बराबरी पर लाए जाने हेतु सरकार द्वारा बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। परमपूज्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के अंतःकरण में यही पीड़ा थी कि हमारे समाज के वंचित लोग, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उनको बराबरी पर लाने के लिए किस तरह से प्रयत्न किए जाएं। यह विधेयक शायद ऐसे तबके के लोगों की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब बहन कुमारी मायावती जी मुख्य मंत्री थीं। उन्होंने अपने शासन काल में उत्तर प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए, ऐसा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जो अभी तक पास नहीं हुआ है। बहन कुमारी मायावती जी का यह भी कहना था कि उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश में जिन जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जा रहा है, उस अनुपात में अनुसूचित जाति का आरक्षण भी बढ़ाया जाए, आरक्षण कोटा भी बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें समय-समय पर संशोधन हो रहा है और विभिन्न जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में जोड़ा जा रहा है, इससे उनकी आबादी बढ़ती चली जा रही है, किन्तु आरक्षण का प्रतिशत वहीं का वहीं पर है। हमारी नेता कुमारी मायावती ने इसकी कई बार मांग की है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से अनुसूचित जातियों की संख्या बढ़ रही है, उसी अनुपात में आरक्षण कोटा भी बढ़ना चाहिए। यह हमारी पार्टी की मांग है, यह हमारी नेता की मांग है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज भी बहुत सी जातियाँ ऐसी हैं जो कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति की श्रेणी में हैं, जबकि दूसरे राज्यों में उनको सामान्य श्रेणी या अन्य पिछड़े वर्ग में रखा गया है। कुछ जातियाँ रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाती हैं, परन्तु वहाँ पहुँचने के बाद उनके साथ वही छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, अस्पृश्यता का भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है और अपनी जाति का लाभ उन्हें वहाँ पर नहीं मिलता है। मेरा मानना है कि ऐसे व्यक्तियों को भी अपनी जाति का लाभ मिलना चाहिए। उनको व उनकी संतानों को सारी सुविधाएं उक्त कैटेगरी में दी जानी चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं होता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में अनुसूचित जाति के लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, जैसे मुंबई है या दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पर पूरे देश से अनुसूचित जाति के लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए आ जाते हैं। वे अपने प्रदेश से आकर दिल्ली, मुंबई या देश के बड़े-बड़े शहरों में आकर बस गए, लेकिन वहाँ की सरकारें उनको अनुसूचित जाति का लाभ नहीं देती हैं। जब उनको किसी सरकारी नौकरी के लिए फार्म भरना होता है, तो उनको वहाँ से अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है। उधर जिस प्रदेश से वह आया है, वहाँ से उसका नाम कट गया और उस प्रदेश में उसका नाम जोड़ा

[श्री वीर सिंह]

नहीं जा रहा है। यह आज बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसमें भी बदलाव लाना चाहिए, संशोधन लाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में पूरे देश के अनुसूचित जाति के लोग आकर बस गए हैं। वे यहां के निवासी हो गए, किंतु दिल्ली सरकार उनको अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र नहीं देती है। वह उनको प्रमाण-पत्र नहीं देती है, इसलिए उनको इसका लाभ नहीं मिलता है। इसी प्रकार से मुंबई की हालत है। मुंबई के अंदर भी पूरे देश से लोग रोजी-रोटी के लिए पहुंचे हैं। वे जिस प्रदेश से आए हैं, उनका उस जाति से वहां पर नाम कट गया। वहां से उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है और इधर भी उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि उनको इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और संविधान में इस संशोधन को लाकर, उनको पूरा लाभ दिया जाना चाहिए।

महोदय, हमारे समाज में जातिगत भेदभाव और जातिगत पहचान बड़े पैमाने पर व्याप्त है और यह क्षमताओं का विकास करने और ऐसे वंचित लोगों को लाभ नहीं दे सकी है। अतः ऐसे समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़े इन व्यक्तियों के बारे में सरकार को सामाजिक समानता को बढ़ाने हेतु बजट बढ़ाए जाने व पूर्णरूपेण बजट खर्च की आवश्यकता है। साथ ही साथ अनुसूचित जाति के वर्ग के बंधुओं को उनकी प्रमोशन में और आरक्षण में लाभ देने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा जो कुछ क्षेत्र या तबके वंचित रह गए हैं, उन वंचित क्षेत्रों या तबकों के बारे में भी विचार करते हुए सम्पूर्ण प्रस्ताव या विधेयक लाकर उनको अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करने की आवश्यकता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह समतामूलक समाज की अवधारणा स्थापित करे, जिससे इस जाति का पिछड़ापन, असमानता व गैर-बराबरी के लिहाज से समाप्त कर समाज में एकरूपता लाई जा सके। इसके लिए सरकार को किशतों में संशोधन नहीं करना चाहिए, बल्कि एक बार पूरी तरह से जांच करके करना चाहिए। आज तक पूरे देश की यह जनगणना नहीं हो पाई कि कुल अनुसूचित जातियां कितनी हैं, अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं और न ही उस हिसाब से उनको फायदा मिल रहा है, इसलिए इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि परमपूज्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर साहेब ने भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े लोगों को जो अधिकार दिए थे, वे आज तक उनको प्राप्त नहीं हुए हैं, जैसे कि सरकारी नौकरियों में हैं। किसी भी विभाग में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति का आज तक आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ है। चाहे सत्ता में इधर की सरकार रही हो या उधर की सरकार रही हो, किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है और आज तक आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ है। देश के किसी भी प्रदेश में आज तक बैकलॉग पूरा नहीं हुआ है। हमारे देश में केवल एक ही प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसा है, जहां cent per cent बैकलॉग पूरा हुआ। यह कब पूरा हुआ, जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी और बहन मायावती जी मुख्य मंत्री बनीं। उन्होंने एक विशेष अभियान चलाकर, पूरे उत्तर प्रदेश के हर सरकारी विभाग में जहां लाखों रिक्तियां थीं, उनको भरने का काम किया तब साथ ही यह आदेश भी जारी किया कि जो अधिकारी इस कार्य को पूरा नहीं करेगा, उसके खिलाफ मुकदमा दायर करके जेल भेजो। इस प्रकार से एक समय-सीमा के अंतर्गत बैकलॉग पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश में बैकलॉग क्यों पूरा हो गया, क्योंकि बहन मायावती जी की नीयत साफ है। उन्होंने गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो बैकलॉग पूरा कर दिया, तो

देश के अन्य प्रदेशों में यह बैकलॉग पूरा क्यों नहीं हो रहा है। देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 55 सालों तक सबसे ज्यादा लम्बे अर्से तक शासन किया। प्रदेशों में भी आपकी सरकारें रहीं, लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं थी। आज भी आपकी सरकारें कई प्रदेशों में हैं, लेकिन आज भी वहां बैकलॉग पूरा नहीं हो रहा है। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब बाबा साहेब ने 26 जनवरी, 1950 को ठीक ही कहा था कि संविधान के तहत तुम्हें जो अधिकार मिले हैं, वे अधिकार तुम्हें तभी मिलेंगे, जब संविधान चलाने वालों की नीयत साफ होगी। संविधान के अनुसार ही सरकारें चलती हैं। सरकार किसकी रही, सरकार कांग्रेस की रही या बीजेपी की रही। आप दोनों दलों की सरकारें ज्यादा लम्बे अर्से तक रही हैं, किंतु आज तक आपने किसी भी प्रदेश में सरकारी नौकरियों में बैकलॉग पूरा नहीं किया है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please conclude now.

श्री वीर सिंह: इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि आप ऐसे पद पर बैठे हैं और अनुसूचित जाति से हैं। मंत्री जी, आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग करो। आप डरो मत और खुलकर बोलो कि पूरे देश में सरकारी नौकरियों में बैकलॉग पूरा होना चाहिए, इसलिए आपको इसमें पहल करनी चाहिए। यदि आप इसमें पहल करेंगे, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

मान्यवर, मेरा आपसे यह कहना है कि आज बड़े दुख का विषय है और पूरे देश में एक गंभीर समस्या पैदा हो रही है। परमपूज्य डा. भीमराव अम्बेडकर साहेब ने अनुसूचित जाति के लोगों को दूसरे विभागों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया था, लेकिन आज बड़े-बड़े सरकारी विभागों को प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर में देकर धीरे-धीरे हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। पूरे देश की अनुसूचित जाति के लोगों के सामने आज बहुत बड़ी समस्या है। परमपूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर साहेब ने हमें सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण को खत्म कर रही है। माननीय मंत्री जी, यह गंभीर विषय है, इस पर आपको सोचना होगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please conclude.

श्री वीर सिंह: मंत्री जी, आज शिक्षा का बुरा हाल है। देश में दोहरी शिक्षा है। आज गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और अमीरों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं। बेचारे गरीब के बच्चे को सरकारी स्कूलों में कक्षा छः में ए, बी, सी, डी सिखाई जाती है, वहीं दूसरे स्कूलों में नर्सरी से ही बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। ऐसे में गरीब का बच्चा कैसे उनसे होड़ कर लेगा? शिक्षा समान होनी चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): I have to call the next person.

श्री वीर सिंह: आप सरकारी स्कूल में टीचर्स रखते हैं, उनको सेलरी देते हैं, तो सिलेबस एक जैसा क्यों नहीं रखते? यदि आप अनुसूचित जाति का हित चाहते हैं, तो आपको यह करना ही होगा। आज सरकारी स्कूलों में जो टीचर होते हैं, उनसे डबल काम लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्या इसलिए किया जाता है कि वहां पर सिर्फ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Veer Singh ji, please conclude.

श्री वीर सिंह: सरकारी स्कूल के टीचर्स को कभी जनगणना की छूटी में लगा दिया जाता है, कभी मतदाता सूची में लगा दिया जाता है, ऐसे में किसकी पढ़ाई बाधित होती है? ऐसे में गरीब बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please conclude.

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: यह इम्पोर्टेंट विषय है, इन्हें दो मिनट का समय और दे दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): I have already given double the time.

श्री वीर सिंह: आज केंद्र सरकार से प्रदेशों को छात्रवृत्ति जाती है, प्रदेश सरकारें अनुसूचित जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति न दे करके, उसे दूसरी मदों में खर्च कर देती हैं। उत्तर प्रदेश में तीन साल से अनुसूचित जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। बच्चे परेशान हैं। ...**(व्यवधान)**... आज उच्च शिक्षा में जितने भी विद्यालय हैं ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please conclude.

श्री वीर सिंह: अनुसूचित जाति के बच्चे के पास फीस होती नहीं है, तो बेचारे एडमिशन पाने से भी वंचित रह जाते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please conclude.

श्री वीर सिंह: हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा। इन सब बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Thank you. Now, Shri K. Somaprasad. ...**(Interruptions)**... Yes, it is his maiden speech.

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): Hon. Vice-Chairman, Sir, and, hon. Minister, first of all, I extend my support to this Amendment Bill. Sir, in section 2(b), Part VIII - Kerala, there is a proposal to include 'peruvannan' in the SC list. Actually, 'peruvannan' is not a separate community. It is a part of the 'vannan' community. And, 'vannan' community is already included in the SC list. So, the inclusion of 'peruvannan' is a genuine thing, and, we support it. Regarding the 'malayan' community in Kerala, in ten Districts, it is included in the Scheduled Tribes list, and, now, in four Districts, it is included in the Scheduled Castes list.

Sir, I would like to draw your attention to some other points. Sir, the reservation benefit is a constitutional right to the Scheduled Castes but certain sections of the

people, even though they belong to the Scheduled Caste community, are denied this benefit. While enjoying the Constitutional benefits in education, a large number of SC people get education and better employment; but as part of their jobs, they are forced to migrate from the native States to some other States. Due to some other reasons also, for example, marriage relationships and things like that, migration of the SC people is going on, and, they are settling in other States.

Sir, the SC list is prepared by the State Government and its jurisdiction is within the State. Here lies the problem. A person, whose community is included in the list of Scheduled Castes in his native State, may not be a member of the...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, the Minister is absent. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Another Cabinet Minister is here. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I think we are discussing a Bill. It is not a general discussion. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Mr. Somaprasad, you please proceed. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: But the Minister must be here.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): The Minister is coming. ...(Interruptions)...

SHRI K. SOMAPRASAD: Sir, shall I continue? ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Or, is it being taken for granted? ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): He has gone just now. I saw him. ...(Interruptions)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: तपन जी, वे बस अभी आ रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Kindly take note of this particular issue and make the Minister reply on this issue. Please proceed, Mr. Somaprasad.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Migration has become a general phenomenon. People are going to other State and are being deprived of the SC status. That is the central point. And it is continuing year after year. So, he must respond on that.

THE MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI KALRAJ MISHRA): He is coming, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please proceed.

SHRI K. SOMAPRASAD: So, a person whose community is included in the 'Scheduled Castes' list in his native State may not be a member of the Scheduled Castes in the State where he is now settled. So, the people migrated from one State to, the other may not get the benefit of reservation. This is unfair and against the Constitution. After all, all the States are part of the Indian Union. Our Constitution is the supreme authority. Hence, each and every member of the SC community should get the benefit throughout India. But now, he is not getting it! Only the Central Government can take appropriate action. The Central Government should interfere in this crucial issue and should take over whatever is possible.

Another point is, the 2011 Census Report says that the SC and ST population in India is increased to 25.2 per cent. But the reservation is only 22.5 per cent. So, the reservation percentage has to be increased accordingly.

Another point is, as has already been explained by the hon. Members earlier, at every point, privatization is the Government's policy and they are doing it. Actually, privatization is against the interests of the Scheduled Castes people because through reservation they get employment only in the public sector and the Government sector. Now, the Government is privatizing the public sector and they are losing the job opportunities. So, we demand that reservation should be implemented in the private sector also. That can be implemented because several Acts and rules are implemented in the private sector. So, this can also be implemented. Hence, the Government should take appropriate steps to give reservation in jobs in the private sector also. Thank you, Sir.

श्री दिलीप कुमार तिकी (ओडिशा): उपसभाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के अन्दर अलग-अलग जातियों को दिए जाने वाले आदेश में संविधान के मुताबिक समय-समय पर संशोधन किया जाता है। इस प्रकार एक तरह से यह एक रूटीन मैटर है। यह जो 2016 का संशोधन विधेयक है, जिसमें ओडिशा से संबंधित कुछ संशोधन भी किए गए हैं। असल में अभी तक अनुसूचित जाति और जनजातियों की जो सूची है, वह पूरी तरह से फूलप्रूफ नहीं है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ओडिशा सरकार की तरफ से कुछ जातियों को अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव आया है, उसको अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची में शामिल किया जाए। इसके साथ ही साथ, जो सूची है, उसमें कुछ बदलाव करने का भी अनुरोध किया गया है, जैसे 'सुवालगिरी' की जगह 'स्वालगिरी' करने का अनुरोध किया गया है। इस सूची में जिन जातियों को शामिल करने का अनुरोध किया गया है, उसके नाम हैं— चिक और चिक बडाइका। हम इन दो जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का अनुरोध कर रहे हैं। कई जगह ऐसा देखने को मिला है कि एक ही जाति के लोग किसी राज्य में अनुसूचित जाति की लिस्ट में हैं, तो पड़ोसी राज्य में वे उस लिस्ट से बाहर हैं। इसी तरह की समस्याओं के कारण आए दिन इस लिस्ट में संशोधन की मांग उठती रहती है।

सर, मेरे विचार से आज जरूरत इस बात की है कि इस लिस्ट की राष्ट्रीय स्तर पर एक समीक्षा की जाए। यह काम मुश्किल जरूर है, लेकिन यह बहुत आवश्यक है। यदि कुछ जातियां हकदार होने के बावजूद इस सूची से बाहर छूट गई हैं या कुछ दूसरी जातियां गलती से इस सूची में आ गई हैं, तो इन गड़बड़ियों को दूर किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची की व्यापक जांच कराई जाए और इसे अपडेटेड बनाया जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिसको मैं पहले भी कह चुका हूं, वह यह है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में बड़ी संख्या में एससी के कोटे के पद खाली पड़े हुए हैं। मेरी यह मांग है कि उनको भरने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई जाए।

सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह सरकारी क्षेत्र में नौकरी के अवसर घट रहे हैं, उससे हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी एससी/एसटी आरक्षण के बारे में सोचना होगा। अगर हम इस पर नहीं सोचेंगे, तो इस प्रकार सिर्फ लिस्ट में फेर-बदल करने से इसका जमीनी स्तर पर कोई फायदा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम और हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन करते हैं, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Thank you. Now, Shri D. Raja.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Thank you, Sir. I rise to support this Bill. While supporting this Bill, I draw the attention of the Government to one crucial issue, that is, the identification and recognition of *dalit* communities in a comprehensive manner. Earlier, my previous speakers touched upon this issue. The *dalit* communities in Tamil Nadu, if they migrate to Maharashtra, are not recognised as *dalit* communities. The *dalit* communities in Haryana, if they migrate to Delhi, the National Capital, are not recognised as *dalit* communities here. This is an issue.

Now, this Bill is based on the recommendations of concerned State Governments. At the same time, Centre should address this question because *dalit* communities are *dalit* communities wherever they go. They must be identified in such a way and recognised in such a way. Having said that, I urge upon the Government to follow this with certain concrete measures on certain issues.

First one is the question of reservation. The policy of reservation is a State policy. It has to be implemented effectively at all levels. Sir, now, there is no adequate social representation even in the Judiciary. The Parliamentary Standing Committee headed by you, sitting in the Chair, made the recommendation that in Judiciary, there must be reservation or adequate social representation. Many judges have spoken but it is not happening. Now, the Government will have to take this into serious consideration. This is number one.

Secondly, because of the neoliberal economic policies, private sector has emerged

[Shri D. Raja]

as an important component of our economy. The job creation is also taking place in the private sector. But the private sector is not obliged to implement the policy of reservation. The private sector cannot be above the law. The private sector should abide by the policy of the country. There must be reservation in the private sector. There must be a law to extend reservation in the private sector. On the one hand, the public sector is being privatised. On the other hand, the Government is patronising the private sector by giving it all the concessions. The time has come when we should ask, "What is private sector?" What is private about the private sector? They take all financial help from the public sector banks or financial institutions. They get all the concessions from the Government. They get everything from land to electricity to water at concessional rate or free of cost from the Government. And then they claim that it is the private sector. What is private about the private sector? We have defined the public sector. If the Government has 51 per cent equity in an institution, then it is in the public sector. We can define it. But what is private sector? What is private about the private sector? The time has come when we should question that and we should see to it that the private sector accepts the policy of reservation. And in the name of affirmative action, we cannot leave it to the mercy of the private sector. As a Government, as a state, we should see to it that the private sector also implements the policy of reservation for the SCs, the STs and the OBCs. This is one point.

The second serious issue is this. The Minister should take note of it. What is happening to the Scheduled Castes Special Component Plan and the Tribal Sub Plan? Earlier, the Planning Commission was there. The Planning Commission was giving directives to the State Governments and the Central Ministries for earmarking separate funds for the Scheduled Castes Special Component Plan and the Tribal Sub Plan. Now there is no Planning Commission. Now the NITI Aayog is in vogue. ...(*Interruptions*)... You are adding to the list of the Scheduled Castes. But how do you ensure that the Central Ministries and the Central Departments earmark adequate funds for the Tribal Sub Plan? I want to know this from you. How do you ensure that the State Governments earmark funds for the Scheduled Castes Special Component Plan and the Tribal Sub Plan? The Ministry must take note of this. There are certain State Governments which enacted State legislations to ensure this. As the Central Government, are you going to bring a Central legislation to ensure that the Scheduled Castes Special Component Plan and the Tribal Sub Plan are there? It is a very serious issue.

The other issues are atrocities and discrimination against *dalits*. I am not going into all the issues. I am raising one pointed issue. It is about discrimination in the institutions of higher learning whether it is the IITs or the Central Universities.

What happened in the Hyderabad Central University should open our eyes to the harsh reality that the Indian society and the nation is facing. Rohith Vemula's death is not a simple suicide. It is really an institutional murder. A bright scholar was forced to take that extreme step. Why should such a thing happen in our country? On the one hand, we claim that we are a civilised nation and we are a civilised society. On the other hand, our children, our young boys and girls are subjected to such extreme hardships that they take the extreme step of committing suicide. Why should it happen? There is a demand to bring a Rohith Act to fight and end discrimination against dalits in the institutions of higher learning. I want to know whether the Government will apply its mind to it and whether the Government will consider this issue.

Now I come to other important issues. We have the National Commission for Scheduled Castes. We have the National Commission for Scheduled Tribes. But what is the power that these National Commissions have got? These are all statutory bodies. But they do not have statutory powers. What for do we have these Commissions? I am putting this question to you. Even their Annual Reports are not submitted regularly in Parliament. Why? Why should it be like that? The Human Rights Commission has statutory powers. Why can't the National Commission for Scheduled Castes or the National Commission for Scheduled Tribes have statutory powers? As Government, you will have to think on this issue. It is a serious issue. Finally, this is a Bill which adds some more communities from different States to the list of Scheduled Castes, but there is a demand that Dalit Christians be treated as Dalits. ...(Interruptions)... Dalit Muslims want to be treated as Dalits. They also want reservation. ...(Interruptions)... Listen. ...(Interruptions)... Don't interrupt. If you have answer, you tell me. ...(Interruptions)... If you have any answer, I will listen to you. ...(Interruptions)... So, what I am saying is that *Dalit* Christians and Dalit Muslims do want reservation, but there is a Supreme Court ceiling. The Supreme Court has put a ceiling that reservation should not exceed 50 per cent. Now, SCs and STs account for 22.5 per cent. OBCs account for 27 per cent. Total is 49.5 per cent. That is the reservation. In Tamil Nadu, there is reservation up to 69 per cent. It is in the Ninth Schedule. If that can happen in Tamil Nadu, why can't it happen in other States and why can't it happen at national level? If the Supreme Court has put that ceiling, the Centre should have the political will to review that Supreme Court order. You ask for a review and open it up. So, these are very vital issues to address the concerns of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in our country. Now, we are passing this Bill, but passing this Bill will not help. It should be followed up with sincere, committed and concrete measures by the Government. That is the big challenge, but that is the big question I raise before the Government. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Hon. Minister, I hope you can reply on the issue of Annual Report of the National Commission for Scheduled Castes and the National Commission for Scheduled Tribes. That is a very important thing. I hope you will get the information and inform the House.

श्री थावर चन्द गहलोत: जवाब के साथ बोलूँ या अभी बोल दूँ?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Just mark it and tell.

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, हमने एससी कमीशन की रिपोर्ट को संसद में सब्मिट किया है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Okay. Now, Shri Jesudasu Seelam.

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh): Sir, I would like to say a few things on the Bill. This basically deals with inclusion of certain communities in the States of Chhattisgarh, Haryana, West Bengal and modification in some respects and removal of area restrictions in Kerala and exclusion of certain communities from the list of Scheduled Castes in Odisha. All the four aspects have been brought in this small amendment which is under Article 341. We have been coming up with inclusions, exclusions, modifications and area restrictions. But, while the area restriction in Kerala is corrected, I agree with a lot of my colleagues that the area restrictions throughout the country also need to be taken note of. Since it is in the State, the State Government has taken interest saying that in northern part of Kerala, this community is in Scheduled Tribes and in southern part, it is in Scheduled Castes; so, uniformity should be maintained. That is the recommendation of the Kerala Government. But, if X community, which is Scheduled Caste in a State, goes to another State and it is not listed in the list of Scheduled Castes in that State, then the problem comes up. That State Government is not taking it up. The original State to which that person belongs should take it up. But, these are not being taken up, creating a lot of hardship. That is why I urge the hon. Minister to take it up. They have the statistics. There are communities which are listed as Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which are really facing social backwardness. That is why I request that this anomaly should immediately be corrected. For instance, recently some Scheduled Caste people residing in Madhya Pradesh came to us, the Forum of Scheduled Castes and Scheduled Tribes MPs and made a representation. They also appeared before the Parliamentary Committee on Welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes of which I am privileged to be a Member. So, we have recommended to the Government this case.

The hon. Minister has already said that he has laid the Reports of the Commission on the Table of the House. But what we want is, not merely by laying, we need to discuss and act upon the Reports of the National Commissions for Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and also the National Commission for Backward Classes. What they do is, they do a lot of work. They submit the reports to the Ministry; and the Ministry lays the reports on the Table of the House. But it is never discussed and never acted upon. I am specifically drawing the attention of the hon. Minister that these reports should be discussed in the House. The Chair should protect our interests and the Chair should convey to the Business Advisory Committee about it.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. S. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Normally the procedure is only Members can raise that issue.

SHRI JESUDASU SEELAM: The Action Taken Report also should be laid on the Table of the House. *...(Interruptions)...* That is why they are delaying.

I urge upon the Government to take necessary action on each of those recommendations and come back to the House. It is not merely laying the reports on the Table of the House. The report itself doesn't mean anything unless it is acted upon. So, the reports of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the National Commission for Backward Classes have been periodically submitted; and they have done a lot of good work.

So, I request the hon. Minister, through you, that necessary action on those reports should be taken. Also the recommendations of the Parliamentary Committee on the Welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes need to be discussed. I am a Member of this Committee. We have gone to many places. We have called the CMDs of 14 nationalised banks; and reviewed the percentage of lending to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I am really very, very sad to say that .01 per cent is the percentage of lending. If you are not spending equivalent percentage of funds in proportion to the population, at least, there should be some substantial money lending. Otherwise, if there is no money, it is only talkism and tokenism. Gone are the days when the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the OBCs took interest in typewriting, shorthand, knitting and sewing. All those things have become things of the past. Now there are sufficient number of educated among the SC/ST and OBCs, and they should be given sufficient financial aid to start the business on their own, and tie up with industrial houses to start earning something. I am happy that some of the banks have come forward. The Secretary, Financial Services is working out a scheme. I hope the Minister would take cognizance of it. This is a step initiated by the UPA Government. I congratulate the hon. Minister for Social Justice that he has taken it forward and started a Venture Capital Fund. But there

[Shri Jesudasu Seelam]

are certain problems and we have discussed it with the Minister. I hope he will be able to address those issues.

Also, Sir, there is a Credit Guarantee Scheme initiated by the UPA Government, and it has been taken up by the present Government. There are certain difficulties. The Minister is aware of those difficulties. I hope he will address them. Sir, why there is a demand for inclusion, we must try to find the root-cause for this. The demand for inclusion is two-fold. Now, this is the reality. There are more number of regional parties. There are more number of political reasons. At the time of elections, they promised to garner the votes. But more and more members of Scheduled Castes included hitherto in OBCs are competing to be included in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Sir, I would like to know as to what is the criteria. Under Article 341, the Presidential orders were proclaimed. Six times they were done because in each State certain communities were identified; they are scheduled. There is a list. They are listed State-wise. They are subjected to the social backwardness because of the heinous practice of untouchability. Earlier, it was physical untouchability. Now, it is a practice in different forms of untouchability. So, those communities are listed saying that these are socially backward for centuries. So, that is the criteria for listing under the List of Scheduled Castes. So, they have to be really gone through. In recent times, at least for the last 30-40 years what happened is, certain communities, which are not hitherto subjected to that heinous practice of the untouchability, are included for sought to be included for various reasons. I am not finding faults. Somehow, it has happened. Even now, I think we need to correct those imbalances. I request that there is a conference and a relook at the criteria needs to be evolved by the Registrar General. There should not be this sort of tendency on the part of the communities listed in OBCs to be included in Scheduled Castes because it is unfair. There are certain cases. I know for sure as to what happened in some Southern States. Prejudice still continues with the result that in one State, MLA tickets are given to the untouchable Scheduled Castes which are included later. So, this is not fair. This is not in the spirit of which should reflect it in the Constitution.

Secondly, Sir, the religion is a basis of reservation. In this country, we have seen that Dalits, to whichever religion they belonged, were subjected to the social disability. For instance, those Scheduled Castes who embraced Sikhism, casteism still followed. That is why the reservation facility was extended to Dalits who have gone to Sikhism. And, similarly, those Dalit communities who have gone to Bhuddhism, were experiencing this caste discrimination. So, they are included in the List of

Scheduled Castes. Similarly, Sir, if the religious communities like Christians, Muslims or those Dalits who even after the conversion are subjected to social discrimination, definitely have a Fundamental Right to be included in the Scheduled Castes. So, a Commission was asked to look into these issues. Justice Ranganath Misra Commission has gone into these details, travelled widely, and recommended that the reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be religiously neutral. It should not be based on religion. That is why I urge the Government to take up that recommendation. If you feel that even after conversion to a particular religion, if a person subjected to social discrimination based on caste, you need to put him back in the List of Scheduled Castes. So, I think that is the point Mr. Raja has made.

Then coming to the urge for the people to get into the Scheduled Castes List, the State is offering certain positive discrimination. On that aspect also, we need to draw the attention of the Government to the Reservation Act because, so far, the reservations are based on the Government orders. There is no codified Act. So, the UPA Government has brought an Act and got that passed in Rajya Sabha. But since there were certain anomalies, it was referred back. We need to take care of that.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): There are two other Members to speak from your side. Please conclude.

SHRI JESUDASU SEELAM: Another two minutes, Sir. Reservation in promotions has been in vogue in this country since 1955. Now this House passed the Reservation in Promotions for S.Cs and S.T.s Bill, but because of certain observations of the Supreme Court in M. Nagraj case, we tried to remove those hurdles. But that could not be taken up again because the Lok Sabha got dissolved and the Bill elapsed.

The third thing is that the three Congress-I ruled States of Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana implemented the Sub Plan for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which was proposed by the UPA Government. I urge that the remaining States also should do that and population equivalent percentage of Plan funds should be spent on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes so as to remove the gaps in Developmental Indices between these members and the rest of the members of the society.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Thank you. Your time is over.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, this is very important. The Central Government itself should bring the legislation. The UPA had prepared it. Sir, some hon. Members have raised the backlog issue. It is Rajiv Gandhiji who insisted that untill 50 per cent of the vacancies was filled, no further recruitments should be done. I think we

[Shri Jesudasu Seelam]

need to take up those measures which have already been initiated. Even at the time of the UPA, we had initiated the 93rd Amendment for reservation in educational institutions belonging to the private sector. That is still pending. So, we request the Government to bring in all those legislative measures so that there can be real empowerment of this section of the society. The Government is celebrating the 125th Birth Anniversary of Dr. Ambedkar, and it has committed several things. We urge upon them to take some action and prove their credibility to people. Otherwise, simply by just tokenism and mere talks, the S.C. and S.T. members of the community are not going to be taken away. I request them to sincerely implement it. The necessary background work had been done by the UPA Government. Whatever you have to do is, take it forward and see to it that those Bills are passed. This is all I wanted to say. Thank you very much.

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया (गुजरात): वाइस चेयरमैन सर, मैं संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 पर अपना समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, भारत की जातीय व्यवस्था के आधार पर दलितों के उत्थान के लिए सूचियां दी गई हैं। पिछले 60 सालों से इस व्यवस्था के आधार पर समाज को इसका लाभ मिल रहा है। अब लाभ कम मिला है या ज्यादा मिला है, अगर हम इस बात पर चिन्ता जताएंगे, तो वह अलग-अलग पार्टी का विषय बन जाएगा।

हमारे आदरणीय मंत्री जी आज जो संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए हैं, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस सदन में मुझसे बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी सदस्यों ने अपना मत रखा है।

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए)

सर, मैं जिस पार्टी से आता हूं, उस पार्टी की एक पंचनिष्ठा है। उस पंचनिष्ठा में पांचवीं निष्ठा, सामाजिक समरसता है।

"पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना
सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना।"

हम सब इस सूत्र को लेकर चलें। आज लोकतंत्र के आधार पर हमारे प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और पूरे देश और पूरे विश्व में डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 125वीं जन्म जयन्ती मनाई जा रही है। उनको शतकोटि नमन करते हुए और उनके सम्मुख श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, हमने पंचतीर्थ का बहुत अच्छा विकास करने का संकल्प लिया है। चाहे उनकी जन्मभूमि महू हो, 26 अलीपुर रोड हो, नागपुर की दीक्षाभूमि हो, इंदू मिल की चैत्य भूमि हो, डा. बाबा साहेब अम्बेडकर का मूल गांव अम्बावाडे गांव हो, वहां पर भी राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बहुत ही बड़ी योजनाएं बनाई गई हैं।

सर, यहां जो बातें मुझसे पहले मेरे मित्र रख रहे थे, मैं सुन रहा था। मैं भी दलित समाज से आता हूं, मैं एक हिन्दू भी हूं और मेरा एक बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थान भी है। यहां मेरे से पहले बोलने वाले श्रद्धेय सम्माननीय सदस्यगण, डी. राजा जी और सीलम साहब ने कहा कि रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। मगर दलित समाज में यह छुआछूत

का जो मानदंड है, जो हमारे ऊपर कलंक है, तो बंधारण में आरक्षण के लिए एक ही मापदंड रखा गया है— अस्पृश्यता, untouchability. सर, जो दलित धर्मान्तरित होता है, वह क्यों होता है और कैसे होता है? वह untouchability के कलंक से मुक्त होने के लिए धर्मान्तरित होता है और वह दूसरे धर्मों में जाता है। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने बंधारण में स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां पर अस्पृश्यता का कलंक है, उस कलंक के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह अस्पृश्यता का कलंक सिर्फ हिन्दू समाज में ही है। यह बौद्ध समाज में कहीं पर दिखाई देता है, सिख समाज में कहीं पर दिखाई देता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय में यह अस्पृश्यता का कलंक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आरक्षण का मापदंड सिर्फ एक ही है— अस्पृश्यता। तो जैसा मेरे मित्रों ने कहा, वैसे मैं भी अपनी बात रखना चाहूंगा कि जो आरक्षण आज चला आ रहा है, उसमें किसी और को हिस्सेदार न बनाया जाए।

सर, आदरणीय मंत्री जी आज जो विधेयक लेकर आए हैं, उनके इस विधेयक को मैं समर्थित करता हूं। जितनी भी जातियां हैं, यहां मेरे मित्र कह रहे थे कि दलित समाज में माइग्रेशन हो रहा है। माइग्रेशन जहां भी होता है, जिस भी राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट मिलने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, तो उसमें सुधार लाना चाहिए। हमारी सरकार में दलितों के लिए यहां जितनी भी योजनाएं लाकर आदरणीय नरेंद्र भाई ने जो पहल रखी है, तो ये देश के पहले ऐसे प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने यह कहा है कि मैं डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भक्त हूं और उनके दिए गए अधिकार के आधार पर एक छोटे घर से आया हूं और यहां प्रधान मंत्री बना हूं। आज तक किसी ने भी विगत 60 सालों से ऐसा नहीं कहा है। पहली बार इस देश को एक ऐसा प्रधान मंत्री मिला है, जिसने दिल खोल कर मन की बात कही है और दलितों के प्रति अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित किए हैं।

सर, हमारा तो ध्येय है— सभी समाजों को साथ में लेकर समरस समाज का निर्माण करना। सर, मेरा समय कम है, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात में जूनागढ़, गिरनार नाम से एक गांव है। वहां पर आज से सदियों पहले वैष्णव समाज में एक परमनिष्ठ भक्त हुए, जिनका नाम नरसिंह मेहता था। उनका एक गान था, जोकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी बहुत ही प्रिय गान था-

'वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे'।

यह जो भजन है, उसे गाने वाले महात्मा नरसिंह दास जी दलित समाज के बीच में जाकर बैठते थे। जब वे दलित समाज के बीच में जाकर बैठते थे, तो उस समय के उस समाज ने उनका तिरस्कार किया था। उस तिरस्कार के बावजूद भी वे वहां भजन-कीर्तन करने के लिए, सत्संग के लिए, समाज के सुधार के लिए जाते रहे, बार-बार जाते रहे। तब जाकर, ये जो हमारे समाज के निर्माण की बातें हैं, वहां से शुरू हुईं। हमारी पार्टी के आद्यस्थापक पंडित दीनदयाल जी और आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो कि वंदनीय हैं, उनके सूत्र दिए गए हैं- एकात्म मानववाद और समरस समाज का निर्माण। सर, हम यह करने जा रहे हैं। तो मैं अपने सभी मित्रों से यह आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि हमारी जो समरसता की कल्पना है, उसको साकार होने में आप सब सहयोग दें। आदरणीय मंत्री जी जिस बिल में संशोधन लेकर आए हैं, उसका पूरे दिल से सम्मान के साथ, आदर के साथ, समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं।

5.00 P.M.

SHRI RIPUN BORA (Assam): Respected Deputy Chairman, Sir, first of all, I thank you for giving me this opportunity to take part in a discussion on such a very important and sensitive issue and that too at a very historic moment when our country is going to celebrate the 125th Birth Anniversary of Babasaheb Ambedkar.

Sir, there is no question of opposing this Bill. I only want to put forward some suggestions to the hon. Minister. First of all, simply, inclusion of some castes or tribes in the list of Scheduled Castes or Scheduled Tribes List will not solve the problem. Our main problem is to give priority to them and implement it completely in letter and spirit. Sir, here, I want to draw the attention of the hon. Minister that on the one hand, we are including some castes in the list of Scheduled Castes, but, on the other hand, we are taking quite opposite stand in the Budget. So far as the Budget of 2016-17 is concerned, we have seen that the fund for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been tremendously curtailed in comparison to the Budget of the UPA Government. So, Sir, now, my suggestion and submission is that since we are going to give the status of Scheduled Castes to some more castes, it should give equal opportunity to other Scheduled Castes and for that, sufficient provision be made in the Budget. Here, Sir, I want to quote from point no.2 of the Financial Memorandum, "It is not possible to estimate with any degree of precision, the likely expenditure which would have to be incurred on this account due to non-availability of the caste-wise data." It is very surprising. Sir, this Bill has come under a series of scrutiny. Normally, when the State Government submits the proposal, they must have given the detailed data and the Registrar General of India never approaches this without the detailed data. So, it is very unfortunate that the caste-wise data is not yet available because of which the adequate fund or a financial provision could not be made. I would request the hon. Minister to clarify this matter in his reply.

Sir, my third point is that so far the backlog is concerned, we have seen that in the Central Government as well as in the State Government also, thousands and thousands of posts are lying vacant. So, there should be some mandatory provision. There should be strict accountability in respect of Central Government as well as in the State Government. There should be some regulatory provisions, regulatory measures; some accountability provisions and time-bound targets to fulfill the backlog. I hope the hon. Minister will consider this also.

Last one is that since I am coming from Assam, I must mention about a very, very long-standing issue of Assam, though it is not related to Scheduled Caste, it is related to Scheduled Tribes, Sir, that is inclusion of six tribes of Assam, namely,

Koch-Rajbongshis, Tia Ahoms, tea tribes, Morans, Motoks and Chutiyas. For the last two decades, this matter is lying pending here on one pretext or the other. Sir, you will be surprised to know that during the time of our former President, Dr. Shankar Dayal Sharma, the Koch-Rajbongshis was given the Scheduled Tribes status by a Presidential Ordinance. But, unfortunately, thereafter, no Bill was passed and it was not made an Act. So far the tea tribes community of Assam is concerned, all these tea tribes community people have migrated from Madhya Pradesh, Maharashtra and undivided Bihar. When the British came to Assam and established the tea gardens, they took these labourers to Assam as tea garden workers. What happened is, these communities are getting Scheduled Tribe status in Jharkhand, Madhya Pradesh and Bihar, but only in Assam have they been deprived of getting the Scheduled Tribe's status. In this regard, I would like to draw the attention of the Government to the fact that during the last Lok Sabha elections, in 2014, the present Prime Minister, Shri Narendra Modi, made a commitment that if the NDA Government came to power, within six months, these six communities would be enlisted in the Scheduled Tribes List. But those six months are not yet over. Now, the Assembly Elections are concluded in Assam. Three months before the Assembly Elections, the BJP, the Government and the Tribal Affairs Minister also went to Assam and made the commitment again that within six months, these communities would be brought under the Scheduled Tribes List.

Now, I would like to know from the hon. Minister that whether in his reply he would kindly assure that during the coming Monsoon Session of Parliament the Bill would be brought, including these six communities of Assam in the List, for giving them the 'Scheduled Tribe' status. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mr. Ripun Bora. I can't but congratulate you. In spite of being the Maiden Speech, you were very precise, concise and to the point. He did not resort to verbosity or any flippancy. He made his points very clearly. I congratulate you. I think, others too should emulate him.

Hon. Minister, as a last point, he mentioned a very relevant point that in other States, like Madhya Pradesh and Bihar, certain communities are already Scheduled Tribes but not in Assam. He has requested you to reply on that. You have to reply to that. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL (Gujarat): Sir, what about my name?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; your name is not there in the list. From the Congress Party, there were only three names and they have spoken. *(Interruptions)* I was repeatedly saying about Mr. Chairman's direction that once discussion started ... *(Interruptions)*... What can I do? I am guided by the direction of Mr. Chairman.

श्री थावर चन्द गहलोत: उपसभापति महोदय, माननीय 11 सदस्यों ने इस संशोधन विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पर पूर्णरूपेण चर्चा हुई है। अब आप मुझे कितना समय देंगे, यह तो आप ही तय करेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: As much as you want.

श्री थावर चन्द गहलोत: ठीक है।

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: नहीं सर, 15 मिनट। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your Minister is controlling you! I am not controlling you. (*Interruptions*)

श्री के. सी. त्यागी: सर, ये मंत्री को निर्देश दें तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जब सुबह ये आपको निर्देश दे रहे थे, उस समय मुझे बुरा लग रहा था। ...(व्यवधान)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: और आप रोज़ देते हैं। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will not go by any direction other than that of Mr. Chairman. No other direction.

SHRI BHUPINDER SINGH: And the rules and procedures.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Constitution and the rules and procedures.

श्री थावर चन्द गहलोत: माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले माननीय शमशेर सिंह डुलो साहब ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सामान्यतः नरेंद्र मोदी साहब की नीति और नीयत पर प्रश्न खड़े किए और यह कहा कि उनके समय में उनकी सरकार ने बहुत से काम किए थे। उन्होंने कुछ लम्बे उदाहरण भी दिए। अगर मैं यह कहूं कि अनुसूचित जाति के वर्ग के समक्ष जो समस्याएं आज विद्यमान हैं, उनके लिए कौन दोषी है तो सीधा-सीधा उत्तर सामने आता है कि देश की आज़ादी के बाद किस राजनैतिक दल का 60 साल से अधिक समय पंचायत से लेकर केंद्र सरकार तक राज रहा, तो वहीं जाकर निगाहें टिकती हैं। मैं आलोचनात्मक तरीके से बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन देना नहीं चाहूंगा। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार अर्थात् वर्तमान सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के हित संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है- आज से नहीं है, जब से हमारा जनसंघ बना था, तब से है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। सन् 1954 में जनसंघ की राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा का एक सम्मेलन इंदौर में हुआ था। उसमें हमने यह प्रस्ताव किया था, आप उसे पढ़ लें वह तो लिखा हुआ है- मैं कोई आज उसे बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। उसमें यह लिखा था कि हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं और छुआछूत को अभिशाप मानते हैं, संवैधानिक प्रावधानों को लागू कराने के लिए हम गांव-गांव, गली-गली में जाएंगे और उन प्रावधानों को लागू करने का प्रयास करेंगे। जहां-जहां, जब-जब हमें अवसर मिला, चाहे राज्य सरकार के रूप में या भारत सरकार के रूप में, हमने वह करके दिखाया है। अम्बेडकर जी से संबंधित जो मानबिन्दु हैं, उन पांच प्रमुख स्थानों को पंचतीर्थ का दर्जा भी मोदी साहब की सरकार ने दिया। 1991 में पटवा जी

मध्य प्रदेश सरकार में मुख्य मंत्री थे और मैं राज्य मंत्री था। अम्बेडकर जी की जन्मस्थली पर भव्य स्मारक बनाने का निर्णय उन्होंने लिया और मुझे कहा कि वहां दो समितियां हैं, उन्हें राजी करो। वे दोनों समितियां राजी नहीं हुईं। वहां कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी और वहां स्मारक बनाने का निर्णय लिया। उसके बाद 14 अप्रैल, 1991 को अम्बेडकर साहब की जयंती के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों उसका भूमि पूजन करवाया। मैं प्रत्यक्ष में वहां उपस्थित था, पटवा जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। वहां पर वातावरण खराब करने की बहुत अधिक कोशिश की गयी थी और जो वातावरण खराब करने की कोशिश की गयी थी, उसमें उधर और इधर बैठे हुए कुछ लोगों की पार्टी के लोग थे। वे यह कह रहे थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह मध्य प्रदेश का मामला था, उनकी जन्मभूमि मेरे जन्म स्थान से सवा सौ किलोमीटर दूर थी, हमने अपना कर्तव्य समझा और वह काम किया। फिर शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, परिनिर्वाण भूमि, अंतिम संस्कार भूमि-इन सब पर भव्य स्मारक बनाने का काम हमने किया। अधोसंरचना के साथ-साथ जो भावनात्मक सम्मान देना चाहिए, उस दृष्टिकोण से भी सामाजिक जागरूकता लाने के लिए यह सब काम हमने किया है। महोदय, अमरा साबले साहब ने बहुत सारी बातें यहां बतायीं। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने यह कहा कि कुछ जातियों को अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल कर लीजिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह बात अभी तक के अनुभव से दिखायी देती है।

श्री शमशेर सिंह डुलो: सर, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will allow you after he speaks.

श्री थावर चन्द गहलोत: हमने यह अनुभव किया कि वास्तव में आज जो लोग अनुसूचित जाति में सम्मिलित हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। वह सम्मान दिलाने की दृष्टि से हमने ये सब कार्यक्रम किए हैं। इसके साथ-साथ अभी-अभी The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act संसद ने पास किया है, इस सदन ने भी किया है और लोक सभा ने भी किया है। 26 जनवरी, 2016 से वह कानून लागू हो गया और 14 अप्रैल, 2016 से, माननीय अम्बेडकर जी की जयंती से उसके नियम भी लागू हो गए हैं। हमने यह प्रावधान किया है कि अब इन वर्गों के लोगों को जो प्रताड़ित करेगा, उसको कठोर दंड तो मिलेगा ही, इसके साथ ही साथ पीड़ित परिवार को राहत भी मिलेगी और संरक्षण भी मिलेगा। हमने प्रावधान किया है कि अगर किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति के बारे में सामने वाले को मालूम है और वह जाति सूचक शब्द का उपयोग करके गाली-गलौज करता है, उसका मुंह काला कर देता है, मूछ काट देता है, सिर मुंडन कर देता है, जूतों की माला पहना कर घुमाता है, दूल्हे को घोड़ी पर बैठकर बारात नहीं निकालने देता है, वोट डालने से रोकता है, चुनाव लड़ने से रोकता है, निर्वस्त्र करके जलील करने का प्रयास करता है, इन सब अपराधों के लिए पहले करने का प्रयास करता है, इन सब अपराधों के लिए पहले जो नियम, कानून, कायदे थे, वे इसमें समाहित नहीं थे। हमने इस प्रकार के अपराधों को भी इसमें समाहित किया है और कठोर दंड की व्यवस्था की है। ...**(व्यवधान)**... पहले नियम था कि 10 वर्ष से अधिक की सजा जिस धारा के अंतर्गत होने का प्रावधान है, उस में ही Atrocity Act लागू होता था, परन्तु अब सभी धाराओं में — चाहे

[श्री थावर चन्द गहलोत]

वह छह महीने की सजा वाला प्रावधान हो या 20 साल वाली सजा का प्रावधान हो, उन सभी धाराओं में-चाहे वह छह महीने की सजा वाला प्रावधान हो या 20 साल वाली सजा का प्रावधान हो, उन सभी धाराओं में Atrocity Act भी लागू होगा। हमने यह क्रांतिकारी कदम भी उठाया है। इसकी लम्बे समय से मांग की जा रही थी। जब 1989 में यह कानून बना था और इसमें खामियां दिखीं थीं, उसी समय से लगातार इसके बारे में सुझाव आ रहे थे। हमने इसकी खामियों को खत्म करने की कोशिश की है, अच्छा होता कि आप हमारे इस काम की सराहना करते। अभी भी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जहां भी जाएं, इस कानून की सरहना करें और लोगों में जागृति लाने का काम करें या अपराध करने वाले अपराध नहीं करें और अगर किसी के साथ अपराध हो, तो वह उन प्रावधानों का लाभ लेने की भी कोशिश करे।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी ने इस बिल का समर्थन किया है, परन्तु उनका वही पुराना संशोधन है, जो उन्होंने प्राइवेट बिल के रूप में प्रस्तुत किया था और इसी सदन ने उसको अस्वीकृत कर दिया था। ...**(व्यवधान)**... उन्होंने उन्हीं बातों का उल्लेख किया है, परन्तु आज वे थोड़े से उस बिल से अलग हटकर भी बोल रहे थे। वे मुझे यह कह रहे थे कि हमें तो केवल grammatical सुधार करना है, कौमा, मात्रा का सुधार करना है, इतना ही कहा है। ...**(व्यवधान)**... श्रीमान् जी, आप अपना बिल पढ़िए। आपने कहा कि इन 17 जातियों को ...**(व्यवधान)**... आज अमेंडमेंट है और वह बिल था, आपने यह कहा है कि आज वे जातियां ओबीसी की श्रेणी में हैं, इनको ओबीसी की श्रेणी से अनुसूचित जाति की श्रेणी में कर दो। अगर स्पेलिंग की mistake सुधारनी हो या कोई पर्यायवाची शब्द लिखना हो या कोई grammatical mistake हो, अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से आएगा, तो हम उस पर विचार करेंगे। आपने जो अमेंडमेंट दिया है, वह ओबीसी वर्ग की श्रेणी में आने वाली जातियों को एस.सी. में मिलाने का है। इस बात के लिए आर.जी.आई. ने दो बार इन्कार कर दिया है। जब एक बार आर.जी.आई. इन्कार करता है, तो हम उसको राज्य सरकार के पास टिप्पणी के लिए वापस भेजते हैं। एक बार एक राज्य सरकार ने इसको विद्‌ड्रॉ ही कर लिया था और दूसरी सरकार ने इसे फिर से भेजा। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): बीएसपी की सरकार थी। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले रहा हूँ, वैसे सरकार तो सरकार ही होती है। ...**(व्यवधान)**... एक सरकार ने विद्‌ड्रॉ किया और दूसरी सरकार ने फिर से प्रस्ताव भेजा। अब इसी पर मत भिन्नता दिख रही है। इसी मत भिन्नता के कारण आर.जी.आई. को बल मिला। जो बैग ग्राउंड अनुसूचित जातियां आदेश 1950 का था, उसके आधार पर उसने निरस्त किया था, परन्तु इसके कारण और बल मिला, तो उन्होंने दूसरी बार भी इन्कार कर दिया। दूसरी बार इन्कार करने के बाद हम इस प्रकार को कोई संशोधन स्वीकार नहीं कर पाते हैं। यह केवल इस सरकार ने नियम बनाया है, ऐसा नहीं है। यह नियम तो 1950 से और 1955 से लागू है। इस बीच में सभी पार्टीज की, सभी विचारधाराओं की सरकार रही है। किसी के समर्थन से सरकार चल रही थी या किसी की खुद की पार्टी की सरकार थी। यहां जो बैठे हैं, मेरे ख्याल से सभी राजनीतिक दलों के विचारों के समर्थन से देश में सरकार चल चुकी है। उन सरकारों के समय भी इसी नियम के अनुसार इसका ही अनुपालन होता रहा है। अगर हम भी अनुपालन

कर रहे हैं, तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। इसलिए RGA के निर्णय के खिलाफ हम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने अमेंडमेंट को वापस ले लें, तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां पर के. सी. त्यागी जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, 18 लोगों की आत्महत्या की बात कही है। मुझे भी मालूम है, हैदराबाद की उस यूनिवर्सिटी की मेरे पास नामज़द जानकारी है। वहां पर रोहित से पहले 11 लोगों ने आत्महत्या की है। 2006 से लेकर अब तक वहां 11 आत्महत्याएं हुई हैं। इनमें 3 छात्र SC के थे, दो छात्र ST के थे, 3 OBC के थे, 3 जनरल थे। अगर आप लोग अन्यथा न लें, तो मैं पूछना चाहूंगा कि जिस समय वहां आत्महत्याएं हुई थीं, उस समय कितने राजनीतिक दलों के नेता वहां देखने गए थे या उस पीड़ित परिवार के लिए राहत दिलाने की कोशिश की थी? ...**(व्यवधान)**... वहां कोई नहीं गया, तो क्यों नहीं गया? ...**(व्यवधान)**...

श्री के. सी. त्यागी: अगर आप यह सवाल उठाना चाहते हैं, तो मैं पूछता हूं कि SC, ST के लिए इतना दर्द होता, तो ...**(व्यवधान)**... आप क्यों नहीं जाते? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: त्यागी जी।

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, मैं तो कहना ही नहीं चाहता था, मुझे इसलिए यह कहना पड़ा... आपने पहले भी देखा कि मैं रेलवे टैटर से भिन्न कहीं जाता ही नहीं हूं। त्यागी साहब ने नाम लेकर कहा है। मैं उनका आदर-सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे पीड़ा हो रही है कि आप मान नहीं रहे हैं। मैंने इस कारण से स्पष्टीकरण दिया है, नहीं तो मैं नहीं देता। मैंने पहले भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखर: कहीं कुछ हो जाए, ये कभी नहीं जाते। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rapolu, please sit down. ...**(Interruptions)**... Listen to the Minister.

श्री थावर चन्द गहलोत: वीर सिंह जी ने अपने विचार व्यक्त किए और बहुत अच्छी जानकारी व बहुत अच्छे सुझाव भी दिए। उन्होंने मांग भी की कि आबादी बढ़ रही है और आबादी के मान से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर प्रयास करने की आवश्यकता है। हम भी विचार-विमर्श करते हैं। यदि आप लोग भी इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे, तो जो आबादी बढ़ी है, SC की 16.8 के आसपास पहुंची है। हम उस पर कुछ करने की कोशिश कर पाएंगे। इसके साथ-साथ दूसरे राज्यों में भी एक राज्य की जाति को वही लाभ मिलना चाहिए। मैं इस आवश्यकता पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि सभी राज्य ऐसे हैं, जहां एक जाति सारे प्रदेशों में अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आती है। किसी प्रदेश के दो जिलों में SC की श्रेणी में आती है, कहीं दो जिलों में ST में है, कहीं दो जिलों में OBC में है और वे की वे जातियां किसी जिले में कुछ भी नहीं हैं। इस कारण से अगर राज्य करना चाहे और ऐसा वातावरण बने और राज्यों की तरफ से कोई प्रस्ताव आए, तो निश्चित रूप से उस पर विचार करने की दृष्टि से हमें बल मिलेगा। मैं यह बताना चाहूंगा कि हर राज्य में 3, 4 जिलों में कोई SC में है, 3, 4 जिलों में OBC में है, 3, 4 जिलों में देश में तो है ही और within the state अगर यह सब हो जाए, तो वातावरण आगे बढ़ेगा, हमको भी कुछ रास्ता मिलेगा। फिर यह जाति के सर्टिफिकेट की बात है, तो सर्टिफिकेट बनाने के लिए राज्यों ने अलग-अलग प्रक्रिया तय

[श्री थावर चन्द गहलोत]

कर रखी है। वैसे तरीका तो एक ही है, परंतु अलग-अलग प्रक्रिया तय की है और दिक्कत यह आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट में फर्जी जातियों को लेकर रिट दायर हुई थी, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बार फैसला दे दिया और यह कह दिया कि 1950 की जो अनुसूचित जातियों की लिस्ट है और जो उनका बैकग्राउंड है, उसके आधार पर ही वह बनाई जाएगी। फिर भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ अन्य राज्यों ने अपने यहां अलग-अलग प्रावधान किए हैं कि अगर बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में प्रवेश लेता है, तो टीचर ही उसका फार्म भरेंगे। वे तहसीलदार या एसडीएम के पास जाएंगे, तहसीलदार या एसडीएम प्रमाण-पत्र बना कर स्कूल वालों को देगा और स्कूल वाले ही उसे उस बच्चे के पेरेंट्स को दे देंगे। अब पेरेंट्स को कहीं जाने-आने की आवश्यकता नहीं है। यह भी तय किया गया है कि minimum within 7 days and maximum within 15 days में इस प्रकार की व्यवस्था कर ली जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: गहलोत जी, आपको और कितने मिनट चाहिए?

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, आज आप मंत्री जी पर बहुत मेहरबान हैं।

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, जैसे हर 10 साल में जनगणना होती है। पिछली बार अलग से जाति के आधार पर जनगणना करवाई गई है, लेकिन अभी उसका डिक्लेरेशन बाकी है। उस दिशा में हम कुछ प्रयास कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि बैकलॉग पूरा नहीं हो रहा है, यह बात सही है। उत्तर प्रदेश के लिए वीर सिंह जी ने कहा कि बहन मायावती जी ने वहां बैकलॉग को पूरा किया था, पर आज की स्थिति में वहां पर भी बैकलॉग है। इसके लिए हमने प्रयास किया है और भारत सरकार के मंत्रालयों को भी लिखा है, साथ ही राज्य सरकार को भी लिखा है। हमने यह प्रयास किया है, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हर राज्य में बैकलॉग में कमी आई है। हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का प्रयास किया है। भारत सरकार के मंत्रालयों ने भी इसी प्रकार के प्रयास किए हैं। अनेक मंत्रालयों की जानकारी मेरे पास आई है। अगर आप समय देंगे, तो मैं आंकड़ों सहित वह जानकारी देने के लिए तैयार हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, इन्हें किसी और दिन समय दे दीजिए।

श्री थावर चन्द गहलोत: मुझे नक़वी जी कह रहे थे कि कहीं आप पर भी राधा मोहन जी का असर तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपने मुझे कह दिया कि पूरा जवाब दो, इसलिए मैं जवाब देने लगा। अगर आप कहते, तो मैं केवल रेलेवेंट मैटर पर ही बोलकर अपनी बात समाप्त कर देता।

श्री उपसभापति: आप ऐसा ही कीजिए। जो रेलेवेंट है, वही बात कीजिए और अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री थावर चन्द गहलोत: क्या आपको पूरी बात नहीं सुननी है?

श्री के. सोमप्रसाद जी ने भी इस बिल का समर्थन किया है। दिलीप तिर्की साहब ने जो मांग की है, उस पर निश्चित रूप से हमारा मंत्रालय विचार कर रहा है। आरजीआई ने उसके लिए येस

कर दिया है। इस सवाल को हमने एसएसी कमिशन के पास भेजा है, अगर एससी कमिशन की रिपोर्ट येस में आएगी, तो अगली बार हम उसको भी बिल के रूप में यहां लाने की कोशिश करेंगे।

सीलम साहब ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने जो कठिनाई बताई है, उस कठिनाई को दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने ऐसा कहा है कि हम आयोग की रिपोर्ट पेश नहीं करते हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 2013-14 तक आयोग की जितनी भी रिपोर्ट्स थीं, वे सब हमने पिछले सत्र में सब्मिट कर दी हैं। जहां तक चर्चा करवाने का सवाल है, अगर आप मांग करेंगे और इधर से स्वीकृति मिल जाएगी, तो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम सुओ मोटो प्रयास करने की बात भी करेंगे, परन्तु अब यह सदन की सम्पत्ति हो गई है। जब प्रतिवेदन सदन के पटल पर रख दिया जाता है, तो वह सदन की सम्पत्ति हो जाता है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI D. RAJA: You check your facts. Not all the reports have been submitted. And they say because of Action Taken Reports, it is getting delayed. I argued in a Committee meeting. It is Annual Report, not Biannual Report. You must submit ...**(Interruptions)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: ऐक्शन टेकन के बारे में मैं आपको अलग से लिखित में जानकारी दे दूंगा।

SHRI D. RAJA: No, no. You check your facts.

श्री थावर चन्द गहलोत: सीलम साहब ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी की बात कही है। मैं इस विषय पर पहले ही बोल चुका था, इसलिए आज उस पर बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, फिर भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। परन्तु फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, अनेक बार और सरकार ने 1948 में भी, 1952 में भी और 1956 में भी इस प्रकार के विषयों पर विचार किया हर सरकार ने उसको असहमति दे दी, अर्थात् धर्मान्तरित क्रिश्चियन और मुस्लिम जब धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो वहां छुआछूत का वातावरण नहीं होता है और एससी का दर्जा संविधान में उन्हीं जातियों को मिला है, जिनके साथ छुआछूत का वातावरण है। इस बात को सबने सहमति दी। उसमें आपकी भी सरकार थी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बंधन में भी यह हम लागू करने की स्थिति में नहीं हैं। जहां तक आपने कहा कि ऋण देना चाहिए, तो 'जनधन योजना' के माध्यम से, 'मुद्रा योजना' के माध्यम से और 'Stand Up India' तथा 'Start Up India' में जो उद्यमिता के क्षेत्र में ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है, BICCI के साथ भी एक कांफ्रेंस करके इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया है। प्रधान मंत्री जी ने एक निर्णय लिया है कि देश की जो बैंकों की सवा लाख शाखाएं हैं, हर शाखा को कम से कम दो एससी वर्ग के लोगों को लोन देना ही पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**... उसमें एससी प्लस महिला और इसके साथ ही साथ 500 करोड़ रुपये के Venture Capital Fund का भी हमने प्रावधान किया है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI JESUDASU SEELAM: No, no. ...**(Interruptions)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, okay. ...**(Interruptions)**... हो गया। ...**(व्यवधान)**... I think, Mr. Minister, now, you can try to conclude. ...**(Interruptions)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, आपने एक आदेश दिया था। श्री रिपुन बोरा ने एक मांग की थी। वे पांच-छः जातियां हैं। हालांकि उन्होंने तो उनको अनुसूचित जनजाति में मिलाने को कहा है, परन्तु अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति में मिलाने के लिए अगर सम्बन्धित राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी, तो हम जरूर विचार करेंगे। ...**(व्यवधान)**... अगर एससी के बारे में है, तो RGI की रिपोर्ट और एससी कमिशन की रिपोर्ट के बाद हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...*(Interruptions)*... Very good! ...*(Interruptions)*...

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, अंत में निवेदन करता हूं संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, जो लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, उसे उसी रूप में इस सदन में भी पारित किया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...*(Interruptions)*... All right. ...*(Interruptions)*... What is it, Mr. Tapan? ...*(Interruptions)*... Mr. Tapan, what is your point? ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: That I will tell. ...*(Interruptions)*... You allow me; I will tell. ...*(Interruptions)*... If you allow me, I will tell. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have allowed you. ...*(Interruptions)*... I am asking you why you are standing up. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, my point is this. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put your question. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I will be pointing out only on the relevant issues. मंत्री जी बार-बार relevant-relevant कई दफे बोल चुके हैं। मैं सिर्फ relevant issue ही बोलूंगा। थोड़ी विसंगतियों को सुधारने के लिए यह बिल लाया गया है। हम लोग इसका समर्थन भी करते हैं, लेकिन कुछ विसंगतियां रह गई हैं। यह सवाल इस चर्चा के दौरान उठा। हम यह मानते हैं कि अलग-अलग स्टेट्स में एससी/एसटी की definition दूसरी-दूसरी कम्युनिटी में होती हैं। कभी स्टेट के अन्दर और जिले के अन्दर भी ऐसा होता है, लेकिन मान लीजिए मैं बंगाल का हूं, I am from SC community. I am given the SC certificate on the basis that I have been a *Bengali* in the Bengal State. अभी काम करने के लिए मैं असम गया, तो मेरा SC status चला गया। Is this as per the Constitutional spirit of reservation? मैं कहता हूं कि उस स्टेट के अन्दर डिफर कर सकता है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That he said already. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: But I am also an Indian citizen. I have a constitutional right to go to any corner of the country for my job or any other purpose. The moment I go there, I lose my status of SC or ST, whatever it may be. इस तरीके से चाय बागान के maximum workers झारखंड से असम में pull किए गए थे। They are not getting SC/ST status. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That he has already replied. *...(Interruptions)...* He said....*(Interruptions)...*

SHRI TAPAN KUMAR SEN: One minute! *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tapan, he has already replied to that point. *...(Interruptions)...*

SHRI TAPAN KUMAR SEN: No, Sir. He has not replied. *...(Interruptions)...* He replied that यह reality है, एससी/एसटी की जो definition है, State to State, sometimes district to district, differ कर रही है। It is not a question of difference. A Bengali *Namasudra* has been rehabilitated in Uttarakhand and he is not considered as SC. A Bengali *Namasudra*. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But the State Government should *...(Interruptions)...*

SHRI TAPAN KUMAR SEN: ...who was rehabilitated in Dandkaranya, he has lost his ST status. This is a serious constitutional impropriety. I want to know whether the Government will respond to correct it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tapanji, the State Government should take it up. *...(Interruptions)...* You made your point. *...(Interruptions)...* You made your point. It is very clear.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: No, I have not made my point. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Even I understood it. *...(Interruptions)...* That means everybody understood it. *...(Interruptions)...*

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Migration has become a reality throughout the country. *...(Interruptions)...* You must respond to that. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Seelam, put the question only. *...(Interruptions)...* What is your question?

SHRI JESUDASU SEELAM: The hon. Minister has quoted the Soosai judgement of the Supreme Court. The substance of the judgement is that if there is social discrimination even after conversion to Islam or Christianity, it should be given to them. After the judgement, Justice Ranganath Mishra Commission went round the country, came up with empirical evidence and concluded that since even after the conversion, they suffer social discrimination, this should be made religion-neutral. I would like the hon. Minister *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I got it. *...(Interruptions)...*

SHRI JESUDASU SEELAM: It is the fundamental right...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is clear. ...(Interruptions)... I understood it. ...(Interruptions)...

SHRI JESUDASU SEELAM: I would request the hon. Minister not to mislead the House. ...(Interruptions)... सुप्रीम कोर्ट में मामला है। ...(व्यवधान)... आपको reply देना है। ...(व्यवधान)... कृपया आप इसका reply दीजिए। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Mr. Raja, you have already spoken. ...(Interruptions)... Then why do you want to speak again? ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: You asked me to put the question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put the question. ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: I made it clear that we support the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your question?

SHRI D. RAJA: The Leader of the House is present. ...(Interruptions)... The Minister did not reply to my question. ...(Interruptions)... So I am asking the question. What about the Government's stand in extending the policy of reservation to the private sector? ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not relevant to this. ...(Interruptions)... Sit down. ...(Interruptions)... That is not relevant to this. ...(Interruptions)... That is not relevant to this. ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: Why not? ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Why not? ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different subject. ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: Sir, you are a Professor. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different subject. ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: Sir, I know that it is a different subject. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then why do you raise it? ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: It is related to Scheduled Castes. That is why I am asking it. ...(Interruptions)... Let the Minister respond to it. ...(Interruptions)... The Leader of the House is present. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right.

SHRI D. RAJA: I also asked one more question. The Planning Commission is not there. The NITI Aayog is there. How will you ensure the earmarking of funds for the Scheduled Castes Special Component Plan and the Tribal Sub Plan? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Hussain Dalwai, what is your question? ...*(Interruptions)*...

श्री हुसैन दलवाई (महाराष्ट्र): सर, महाराष्ट्र में Kaikadi समाज है, वह सबसे नीचे का समाज है। वह दलितों से भी बहुत गरीब है और नीचे है। उसको कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं मिलता है। महाराष्ट्र सरकार ने आपको इस संबंध में लेटर लिखा है, उन्होंने आपसे विनती की है कि उसको पूरे महाराष्ट्र में एससी का दर्जा दिया जाए और एससी को मिलनी वाली सारी सहूलियतें उसको दी जाएं।

दूसरी मांग यह है कि Khatik समाज को दलित करके एससी में लिया गया है, लेकिन मुस्लिम Khatik को इसमें नहीं लिया गया है। क्या आप इसके बारे में भी विचार करेंगे?

SHRI RIPUN BORA: I only want to clarify it ...*(Interruptions)*... Hon. Minister has said that if the proposal comes from the State Government, he will consider that. Actually, that is not the fact. The proposal was already there. ...*(Interruptions)*... A number of discussions were held. Hon. Prime Minister, during his last visit to Assam, said, "He is getting the proposal from the Assam Government and he will do it." We have already sent the proposal. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, would you like to respond to this? क्या आप इनको रिप्लाय दे सकते हैं? अगर आप देना चाहते हैं, तो दे दीजिए। आपकी मर्जी। You can give.

श्री थावर चन्द गहलोत: आप कहेंगे, तो मैं जवाब दे दूंगा।

श्री उपसभापति: दे दीजिए, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है।

श्री थावर चन्द गहलोत: महाराष्ट्र की Kaikadi जाति के संबंध में महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव आया है। उसको हमने आरजीआई के पास विचार करने के लिए भेजा है। जब आरजीआई का प्रतिवेदन आ जाएगा, उसके बाद उसे हम एससी आयोग के पास भेजेंगे और जब एससी आयोग की रिपोर्ट भी सकारात्मक आएगी तो फिर हम उसके आगे यहां तक आएंगे। ...*(व्यवधान)*... मैंने असम का बोला है। ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He says that the State Government has already recommended and discussions were held. So, your requirement is already over.

श्री थावर चन्द गहलोत: मेरे पास इस प्रकार का या इस आशय का किसी भी राज्य का कोई प्रस्ताव पेंडिंग नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

श्री थावर चन्द गहलोत: मुझे जो बताना था, वह मैंने बताया कि ये दो प्रस्ताव थे, जो आरजीआई और एससी कमीशन के पास हैं, इनके अलावा कोई प्रस्ताव हमारे पास विचाराधीन नहीं है और राज्य सरकारों से कुछ आया नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, the question is that ...**(Interruptions)**... What happened? ...**(Interruptions)**...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, my point has not been replied to.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is up to the Minister. He may or may not. ...**(Interruptions)**... It is up to him. ...**(Interruptions)**... Tapanji, it is up to the Minister. ...**(Interruptions)**...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I have raised a question of Constitutional propriety. I understood his point and accept his point. I raised the issue of Constitutional propriety. In a State, the moment an SC moves out of a State for earning his livelihood, he loses his status. For how long will it continue? ...**(Interruptions)**... Reply is 'okay'. ...**(Interruptions)**... What is that? ...**(Interruptions)**... What do you think? ...**(Interruptions)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't get angry. ...**(Interruptions)**... That is correct. He is ready. ...**(Interruptions)**... It is up to the Minister to answer or not to answer. ...**(Interruptions)**... He is ready to answer. You sit down. ...**(Interruptions)**... The Chair cannot compel him to answer, but he is ready to answer. On his own, he is ready. मंत्री जी, आपके पास इनका कोई रिप्लाय है, तो आप बोलिए।

श्री थावर चन्द गहलोत: महोदय, इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने दो बार निर्णय दिया है कि अगर एक राज्य की कोई जाति का व्यक्ति किसी अन्य राज्य में जाता है और अगर उस राज्य में उसकी जाति अनुसूचित जाति में लिस्टेड नहीं है, तो वहां उसको लाभ नहीं मिलेगा, किन्तु भारत सरकार की सेवाओं में वह देश के किसी भी हिस्से में जाएगा और वह उस जाति में है, तो उसे उसका लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तारतम्य में और सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर जो निर्णय लिया है, वह हमारे लिए बंधनकारी है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Supreme Court has given that verdict. So, that's all. ...**(Interruptions)**... Tapanji, you got a good reply. Sit down. ...**(Interruptions)**... Mr. Tapan Kumar Sen, please sit down. ...**(Interruptions)**... You got a reply. Sit down. ...**(Interruptions)**...

Now, the question is:

That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. Clause 2 stands part of the Bill. There is one Amendment (No.1) by Shri Vishambhar Prasad Nishad. Are you moving?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: मान्यवर, मंत्री जी ने हमें स्पष्टीकरण दिया नहीं है। मंत्री जी ने कहा कि अगर पर्यायवाची जातियां हैं, जैसे मल्लाह है, तो उसकी पर्यायवाची जाति निषाद है, मांझी है। इसी तरह इन्होंने पाई और मात्रा की बात कही है। उत्तर प्रदेश में तुरहा 1950 की सूची में 66 नम्बर पर है, लेकिन अगर उसे कोई तुरहा लिख देता है, तो कहते हैं कि तुम बैकवर्ड क्लास के हो।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, you want a clarification.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: हमने इस बात पर जोर दिया था, लेकिन मंत्री जी ने इसका उत्तर नहीं दिया।

श्री उपसभापति: उत्तर नहीं दिया?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: इसके अलावा, हम यह कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2004 से लेकर 2016 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार को छः बार प्रस्ताव भेजा। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, बीएसपी की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन किसी ने इसका समर्थन नहीं किया, अगर किसी ने इसका समर्थन किया तो केवल समाजवादी पार्टी ने किया। इसलिए हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि इन्हें ये अनुसूचित जाति में शामिल करने के पक्ष में हैं या नहीं?

श्री उपसभापति: मैं समझ गया। मंत्री जी, आप बोलिए, आपको इसके बारे में क्या कहना है?

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, मैंने पहले भी इस बात का जवाब दिया था कि वे जो प्राइवेट मेंबर्स बिल लाए थे, वह ओबीसी कम्युनिटी में आने वाली जातियों को एससी में मिलाने का था और आज जो संशोधन दिया है, वह भी उसी बात के लिए है। इसमें कोई grammatical सुधार करने के लिए या पर्यायवाची शब्द जोड़ने के लिए या spelling mistake को ठीक करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं है। वे उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव भिजवाएंगे तो हम विचार करेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is very, very positive.

श्री नीरज शेखर: उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मतलब है?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: मान्यवर, 6 बार उत्तर प्रदेश सरकार भेज चुकी है।...(व्यवधान)...

श्री थावर चन्द गहलोत: नहीं भेजा है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: संजीव कुमार जी, प्लीज ...(व्यवधान)... विशम्भर प्रसाद निषाद जी, सुनिए। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्ताव भेजे, वे उस पर consider करेंगे। आपको और क्या चाहिए? Are you moving your amendment?

Clause 2 – Amendment of Constitution (Scheduled Castes) Order 1950

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: सर, मैं उनके आश्वासन को नहीं मानता हूँ इसलिए मैं अपना अमेंडमेंट मूव करता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, you move it.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

कि पृष्ठ 2, पंक्ति 16 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्—

"(च) भाग 18 - उत्तर प्रदेश में,-

(i) प्रविष्टि 18 के स्थान पर रखें-

"18. बेलदार, बिन्द"

(ii) प्रविष्टि 36 के स्थान पर रखें-

"36. गोंड गोड़िया, कहार, कश्यप, बाथम"

(iii) प्रविष्टि 53 के स्थान पर रखें—

"53. मझवार, मल्लाह, केवट, मांझी, निषाद, मछुवा"

(iv) प्रविष्टि 59 के स्थान पर रखें-

"59. पासी, तरमाली, भर, राजभर"

(v) प्रविष्टि 65 के स्थान पर रखें-

"65. शिल्पकार, कुम्हार, प्रजापति"

(vi) प्रविष्टि 66 के स्थान पर रखें-

"66. तुरैहा, तुरहा, धीमर, धीवर"

The question was put and the motion was negatived.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री थावर चन्द गहलोत: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

कि विधेयक को पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.